

सच टाइम्स

DAINIK SACH TIMES

वर्ष 18 अंक 103

मुँरैना, बुधवार 22 जुलाई 2026

पृष्ठ - 8 मूल्य 1.50 ₹



अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संवाहित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए - अध्यक्ष डॉ कैलारा जाटव...

पेज : 03

संसद मार्च : सीजेपी की अराजकता, ये भारत के युवा नहीं हो सकते ?

पेज : 04



संघर्ष सेवा समिति के स्नेहिल सहयोग से अमरीन मंसूरी का निकाह संपन्न

पेज : 06



जनसुनवाई में कलेक्टर ने 83 प्रकरणों में की सुनवाई

पेज : 07

नई दिल्ली, 21 जुलाई (हि.स.)। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राजधानी दिल्ली में कोंकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान भारी हंगामा हुआ। जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह हिंसक झड़पें हुईं। जनपथ, रायसीना रोड और संसद मार्ग पर पथराव, बैरिकेड तोड़ने और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। दिग्भार चले हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर से हटा दिया लेकिन देर शाम वे फिर लौट आए। इस बीच सीजेपी संस्थापक अधिजीत दिग्भर ने आंदोलन और संसद मार्च मंगलवार को भी जारी रहने का ऐलान किया।

जंतर-मंतर व उसके आसपास पिछली रात से ही इकट्ठा हो रहे प्रदर्शनकारी और उनके समर्थकों की भीड़ मंगलवार शाम तक करीब 16 हजार हो गई।प्रदर्शनकारियों ने पूरे दिन पुलिसकर्मियों को इधर से उधर भगाना। देर शाम तक एनडीएमसी भवन के पास अचानक चार हजार से ज्यादा की भीड़ जमा हो गई। पुलिस बार-बार रोड को खाली करने का अनुरोध करती रही और लोग उठा होते दिखे। इस बीच प्रदर्शन करने वाले लोगों ने पुलिस टीम पर पानी की बोतल भी फेंकी।

इससे पहले सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने बार-बार चेतावनी और कानूनी निर्देशों के बावजूद लागू धारा-163 का उल्लंघन किया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस का दावा है कि उपद्रव के दौरान 15 से 20 सकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जबकि जनपथ इलाके में कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। हिसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मों घायल हुए हैं। इनमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसोपी रैंक के अधिकारी समेत पांच से अधिक आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। कई

प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठे राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए

नई दिल्ली, 21 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री आवास के पास नोट प्रणपत्र लोक मामले में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में राहुल गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ प्रियंका वाड़ा समेत तमाम कांग्रेस सांसद, केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री छिंके शिवकुमार शामिल थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बाद में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। कांग्रेस नेता छात्रों के खिलाफ पुलिस बल प्रयोग के विरोध में प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूर पहले ही रोक दिया। जिसके बाद कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए। जहां पुलिस ने इन नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस बस में बिठाकर इन नेताओं को थाने ले गई। इससे पहले राहुल गांधी ने लोगों से प्रधानमंत्री आवास पर धरने में शामिल होने की अपील करते हुए एक्स पर लिखा कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है और प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना होगा। धरने के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंच कर राहुल गांधी से बातचीत की थी। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मदे प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया।

पहुंचाया। पुलिस का दावा है कि उपद्रव के दौरान 15 से 20 सकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जबकि जनपथ इलाके में कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। हिसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मों घायल हुए हैं। इनमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसोपी रैंक के अधिकारी समेत पांच से अधिक आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। कई

वहीं, करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी जखमी होने की सूचना है। घटनास्थल पर तैनात घायल पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्लैरिजेशन होटल के पास अचानक प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव शुरू हो गया। उनके मुताबिक ऐसा लगा कि पथरों का पहले से इंतजाम किया गया था और प्रदर्शन समाप्त होने के बाद बची भीड़ ने

सुनियोजित तरीके से हिंसक रूप ले लिया। हिसा के बाद पुलिस ने करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक, हिरासत में लिए गए कई लोग छात्र नहीं हैं। ऐसे में पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की सुनियोजित साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट और मोबाइल वीडियो भी जांच के दायरे में हैं।

उधर, सड़क पर बवाल के बीच बातचीत का दौर भी चलता रहा। सीजेपी प्रतिनिधि सोरब दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से दो बार मुलाकात की। पहली बैठक में मंत्री ने उनकी मांगों का विवरण मांगा, जबकि दूसरी बैठक में प्रतिनिधियों ने लिखित ज्ञापन सौंपा। हालांकि सरकार की ओर से किसी भी मांग पर तत्काल कोई आश्वासन नहीं दिया गया। जेपी नड्डा ने आंदोलन समाप्त कर शांति बनाए रखने की अपील की। सरकारी सूत्रों के अनुसार, पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए थे। दिल्ली पुलिस अधिसैनिक बलों को निर्देश दिए गए थे कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया जाए। इसके बावजूद हालात बिगड़ने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। अब राजधानी में हुई इस हिंसा की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सोनम वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भेजा गया

नई दिल्ली, 21 जुलाई (हि.स.)। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को मंगलवार शाम यहां के सफदरजंग अस्पताल ने छुट्टी दे दी। उन्हें आगे के इलाज के लिए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल की चिकित्सकीय टीम को सौंप दिया गया है। सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज शाम 6:40 बजे सोनम वांगचुक को आगे के इलाज के लिए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल की चिकित्सकीय टीम को सौंप दिया गया।बुलेटिन के मुताबिक छुट्टी के समय उनके आवश्यक स्वास्थ्य मानक स्थिर थे। हालांकि, पैनासाइटोपेनिया (रक्त की तीनों प्रमुख कोशिकाओं-लाल रक्त कोशिकाएं, रबेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स-की कमी) की स्थिति बनी हुई है। उनका सीरम पोटेशियम स्तर 3.4 एमईक्व्यू/एल दर्ज किया गया। आगे के उपचार को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए उनकी मॉडकल टीम को सभी जरूरी दस्तावेज, जांच रिपोर्ट और उपचार से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं।

आर्थिक सहयोग भारत-उत्तर मैसिडोनिया संबंधों का प्रमुख आधार : मुर्मु

नई दिल्ली, 21 जुलाई (हि.स.)। राष्ट्रपति दीपदी मुर्मु ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक सहयोग भारत और उत्तर मैसिडोनिया के द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों देशों ने व्यापार एवं निवेश बढ़ाने, कारोबारी सहयोग को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की दिशा में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। उत्तर मैसिडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु ने राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजानोव्स्का-दाव्कोवा के साथ द्विपक्षीय एवं प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा के बाद संयुक्त वक्तव्य में कहा कि दोनों देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, वस्त्र, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यटन, आतिथ्य तथा

फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और जन-से-जन संपर्क दोनों देशों के संबंधों की मजबूत नींव है। रचनात्मक उद्योग के क्षेत्र में सहयोग सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। मुर्मु ने कहा है। साथ ही पारंपरिक चिकित्सा

(आईएसए), आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआआई) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने इन पहलों से जुड़ने की उत्तर मैसिडोनिया की इच्छा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उसे हरित ऊर्जा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। उन्होंने उत्तर मैसिडोनिया के लिए भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण सीटों को संख्या दोगुनी करने की घोषणा की। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़े पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे।

में ओवरब्रिज पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

मुँरैना (निज संवाददाता)। शहर के ओवरब्रिज पुल के ऊपर उन वकत बड़ा हदसा टल गया, जब एक चलते हुए ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों और धुएं का गुबार आसमान में छा गया, जिससे पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। स्फकल कार्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस भयानक हदसे में समय रहते जनहानि टल गई, हालांकि ट्रक को काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

राजगढ़: फर्जी बोर्ड से बेच रहे थे 10वीं- 12वीं की मार्कशीट, दो सगे भाई गिरफ्तार

राजगढ़, 21 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर 10वीं और 12वीं की फर्जी अंकसूची व प्रमाण-पत्र जारी कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले एक फर्जी शिक्षा बोर्ड का पर्दाफाश कर दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली के नाम से ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कर अभ्यर्थियों से रुपए वसूलते थे और फर्जी मार्कशीट उपलब्ध कराते थे। पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने मंगलवार को पुलिस निबंधन कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम नाटायाम थाना खिलचौर निवासी कुमेरसिंह पुत्र रोडीलाल भिलाला ने शिकायत दर्ज कराई कि जीनियस कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के संचालक कुनाल मेवाड़े

ने उसकी पत्नी गायत्री भिलाला को 10वीं और 12वीं की फर्जी अंकसूची उपलब्ध कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण

दर्ज कर जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने संबंधित बोर्ड के दस्तावेजों और पते का सत्यापन कराया। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी में स्पष्ट हुआ कि बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली नाम का कोई भी बोर्ड शासन से मान्यता प्राप्त नहीं है। पुलिस ने मामले में राजू (47) पुत्र हरिशंकर मेवाड़े और कुनाल (41) पुत्र हरिशंकर मेवाड़े निवासी राजगढ़ को हिरासत में लिया। फूछाछ में आरोपित कुनाल मेवाड़े ने बताया कि वह फर्जी बोर्ड की वेबसाइट पर विद्यार्थियों का पंजीयन करता था,जबकि उसका भाई राजू मेवाड़े अपने पूर्वी विद्या निकेतन संस्थान में इन परीक्षाओं का संचालन करता था। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपितों के खिलाफ पहले भी विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं।

स्वामी एवं प्रकाशक रविन्द्र सिंह नवरंग द्वारा वनखंडी रोड हरिगंज टॉकीज के पीछे, शिवनगर मुँरैना (मध्यप्रदेश) से प्रकाशित एवं मुद्रक नवीन बंसल द्वारा बंसल ऑफसेट रामजानकी मंदिर के पास, जीवाजीगंज मुँरैना से मुद्रित, स्थानीय संपादक- धर्मेन्द्र सिंह “सीताराम जी ”, मुँरैना, मोबाइल 6261839476 RNI No. MPJIN/2009/45558 फोन 07532-232387 मोबा- 9425334744 तथा सभी विवादों को न्याय क्षेत्र मुँरैना ही होगा। डाक पंजीयन चंबल क्रमांक जी-13-2/163/RNP/2025-27, email : sachtimes101@gmail.com

cmyk

+

+

cmyk

जनसुनवाई में फूटा ग्रामीणों का आक्रोश

‘पात्रों के नाम काटे, अपात्रों को दे दिए पीएम आवास’



जिला ब्यूरो – संगीता गुप्ता

श्योपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास 2.0) के सत्यापन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत शंकरपुर के अंतर्गत ग्राम कोटस के बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सामूहिक आवेदन सौंपते हुए आरोप लगाया कि पात्र गरीब परिवारों को योजना से वंचित कर दिया गया, जबकि पक्के मकानों और पर्याप्त जमीन वाले लोगों को आवास

योजना का लाभ दिला दिया गया।

ग्रामीणों ने आवेदन में आरोप लगाया कि सत्यापन अधिकारी दिनेश मीणा ने जानबूझकर अनेक वास्तविक पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से काट दिए। उनका कहना है कि जिन परिवारों के पास केवल नाममात्र की भूमि है, जो आज भी कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं तथा शासन द्वारा निर्धारित पात्रता के 13 बिंदुओं के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों को लाभार्थी बना दिया गया जिनके पास पहले से पक्के मकान और पर्याप्त कृषि भूमि उपलब्ध है।

राजस्व मामलों में नियमों के तहत करें आवेदन, तभी मिलेगा त्वरित न्याय - कलेक्टर शीला दाहिमा

जिला ब्यूरो – संगीता गुप्ता

श्योपुर। जिले में लगातार बढ़ रहे राजस्व विवादों और लंबित प्रकरणों के बीच कलेक्टर शीला दाहिमा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण और कब्जा हटाने जैसे मामलों में नागरिक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम राजस्व न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सही प्रक्रिया से आवेदन होने पर प्रकरणों का शीघ्र और नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालयों में आने वाले प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा किया जाए तथा आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय को निर्देश दिए कि जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करवाया जाए। उन्होंने बताया कि सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण सहित विभिन्न राजस्व सेवाओं के लिए अब लोक

सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। नागरिक इस व्यवस्था का लाभ उठाकर अपने आवेदन आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं।

कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मामलों में राजस्व न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील की आवश्यकता हो, वे संबंधित सक्षम राजस्व न्यायालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील प्रस्तुत करें, ताकि विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके।

बैठक में राजस्व अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए कि भूमि से अवैध कब्जा हटाने संबंधी आवेदन

प्राप्त होने पर उन्हें न्यायालय में विधिवत दर्ज कर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-250 के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के समयबद्ध और पारदर्शी निराकरण से आमजन का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

कलेक्टर शीला दाहिमा ने अधिकारियों से कहा कि राजस्व प्रकरणों में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक मामले का निराकरण कानून और शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप किया जाए।

घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को मिलेगी निशुल्क कानूनी सहायता, जनसुनवाई में कलेक्टर ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

जिला ब्यूरो – संगीता गुप्ता

श्योपुर। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और घरेलू हिंसा व उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने जनसुनवाई के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि महिलाओं से जुड़े घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए भटकना न पड़े।

मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित दो मामले सामने आए। कलेक्टर ने दोनों प्रकरण तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अंकिता शांडिल्य को सौंप दिए। इन मामलों में पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी



सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

विधिक सहायता अधिकारी अंकिता शांडिल्य ने बताया कि घरेलू हिंसा, देहज प्रताड़ना, मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न या महिलाओं से जुड़े अन्य कानूनी मामलों में आर्थिक रूप से कमजोर अथवा जरूरतमंद महिलाएं जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। पात्र महिलाओं को पूरी तरह निःशुल्क कानूनी परामर्श,

अधिवक्ता की सुविधा एवं न्यायालयीन सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

कलेक्टर शीला दाहिमा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। किसी भी पीड़ित महिला को न्याय से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करते हुए पीड़ित महिलाओं को शासन द्वारा उपलब्ध सभी कानूनी और सामाजिक सहायता का लाभ दिलाया जाए।

जिला प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि यदि वे किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, उत्पीड़न या अन्याय का सामना कर रही हैं, तो बिना किसी भय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। उन्हें पूरी गोपनीयता के साथ निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे अपने अधिकारों को प्रभावी ढंग से रक्षा कर सकें।

भाजपा कार्यालय में नवनियुक्त एलडरमेन का हुआ भव्य स्वागत, जनसेवा और विकास का दिलाया संकल्प

जिला ब्यूरो – संगीता गुप्ता

श्योपुर। नगर पालिका परिषद श्योपुर के नवनियुक्त छह मनोनीत एलडरमेन का मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में गरिमामय स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक भूषण एवं पाटी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सभी एलडरमेन का मार्गदर्शन कर एवं भिड़ाई खिलाकर स्वागत किया गया तथा उन्हें नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

समारोह में उमा शर्मा, सरोज तोमर, बंटी आर्य, शेख भूलिया, रामसिंह प्रजापति एवं युताव राजौरिया का आभोग्य अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पाटी पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त एलडरमेन नगर की समस्याओं के समाधान और जनहित के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।



इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक भूषण ने कहा कि एलडरमेन का दायित्व केवल एक पद नहीं, बल्कि नगरवासियों की अपेक्षाओं और विश्वास का प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कहा कि सभी मनोनीत सदस्य नगर की जनता की आवाज बनकर उनकी समस्याओं को नगर पालिका परिषद के समक्ष प्रभावी ढंग से रखें तथा उनके त्वरित निराकरण के लिए सक्रियता से कार्य करें।

उन्होंने विश्वास जताया कि सभी एलडरमेन अपने अनुभव, समर्पण और जनसेवा की भावना से श्योपुर के विकास को नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित और विकसित श्योपुर के निर्माण में

सभी जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है और संगठन भी जनसेवा के माध्यम से लगातार मजबूत होगा।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नेताओं ने नवनियुक्त एलडरमेन से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नगर के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार तथा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश नारायण गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक गर्ग, नगर पालिका अध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग, जिला महामंत्री संजय अकोदिया, नगर अध्यक्ष संजय मंगल, किसान मोर्चा अध्यक्ष गीरीशंकर मीणा, नगर पालिका प्रतिनिधि सुजीत गर्ग, महिला मोर्चा अध्यक्ष नेहा कुलश्रेष्ठ, सुमित सिंघल, दिनेश राज दुबोहिया सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन विकसित, स्वच्छ और समृद्ध श्योपुर के निर्माण के संकल्प के साथ हुआ।

ग्राम कोटस के ग्रामीणों ने कलेक्टर से कराई जांच की मांग, सत्यापन अधिकारी पर मिलीभगत और मनमानी के लगाए गंभीर आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पूरे सत्यापन की प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े होंगे। उनका आरोप है कि आवास सूची तैयार करने में नियमों की अनदेखी कर पक्षपात और मिलीभगत से कार्य किया गया, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवार अपने अधिकार से वंचित हो गए।

जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की कि ग्राम कोटस में पीएम आवास सर्वेक्षण एवं सत्यापन की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, पात्र परिवारों के नाम दोबारा जोड़े जाएं तथा यदि जांच में अनियमितता सामने आती है तो संबंधित सत्यापन अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन यदि पात्रों को ही योजना से बाहर कर दिया जाएगा तो सरकार की मंशा पर भी प्रश्नचिह्न लगेंगे। उनका कहना है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच कर वास्तविक पात्र हितग्राहियों को न्याय दिलाए।

फिलहाल ग्रामीणों का आवेदन कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं कि शिकायत की निष्पक्ष जांच होती है या नहीं।

9 साल बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने पर बवाल

चौथे स्थान की अभ्यर्थी को नियुक्ति से ठे सवाल बिना नोटिस हटाने, हार्डकोर्ट आदेश की अनदेखी और राजनीतिक दबाव के आरोप; निष्पक्ष जांच की उठी मांग

जिला ब्यूरो – संगीता गुप्ता



9 वर्षों तक उनसे सेवाएं क्यों लीं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है, जिसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया है।

बिना नोटिस हटाने का आरोप

हेमलता आर्य के अनुसार, 24 जून 2026 को उन्हें अचानक कार्य से अलग कर दिया गया। इसके बाद 29 जून को कार्यालय बुलाकर राशन कार्ड संबंधी आवेदन देने के लिए कहा गया और अश्वस्त किया गया कि मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन 13 जुलाई को उन्हें जानकारी मिली कि उसी पद पर कृष्णा सेमा को पहले ही कार्यभार प्रणण करा दिया गया है।

हेमलता का आरोप है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर तक नहीं दिया गया और प्रभुतिक न्याय के सिद्धांतों की भी अनदेखी की गई।

पहले भी विवादों में रही भर्ती प्रक्रिया

जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक-8 की

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती प्रक्रिया पहले भी विवादों में रह चुकी है। पूर्व में दो नियुक्तियां रिजल्ट होने के बाद हेमलता आर्य को पदस्थ किया गया था। अब वर्षों बाद उनकी नियुक्ति पर सवाल उठकर उन्हें हटाना पूरे मामले की ओर अधिक संदिग्ध बना रहा है।

नई नियुक्ति पर भी उठ रहे सवाल

शिकायतकर्ताओं ने नई नियुक्ति प्राप्त करने

वाली कृष्णा शर्मा के दस्तावेजों और पात्रता की भी

निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना

है कि यदि नियुक्ति पूरी तरह नियमों के अनुरूप

हुई है तो चयन प्रक्रिया, मेरिट सूची और संबंधित

दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि

सभी संदेह दूर हो सकें।

राजनीतिक दबाव के आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागीय

अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव में निर्णय लिया

बालिका शिक्षा केंद्रों का निरीक्षण: कम उपस्थिति वाले केंद्रों पर घर-घर संपर्क अभियान चलाने के निर्देश

जिला ब्यूरो – संगीता गुप्ता

श्योपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को मजबूत बनाने और प्रत्येक बालिका तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित महात्मा गांधी सेवा आश्रम एवं इम्पैक्ट के संयुक्त बालिका शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को कार्यक्रम समन्वयक राधावल्लभ जांगड़ ने मुंडला, बालापुरा एवं बाजल्ली स्थित बालिका शिक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रों की शिक्षण व्यवस्था, छात्राओं की उपस्थिति, अभिलेखों के संभारण तथा केंद्र संचालन की विस्तृत समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान कुछ केंद्रों पर छात्राओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम मिलने पर श्री जांगड़ ने संबंधित शिक्षिकाओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे घर-घर जाकर अभिभावकों से संपर्क करें, बालिकाओं की अनुपस्थिति के कारणों को समझें तथा नियमित संवाद स्थापित कर अधिक से अधिक छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा से कोई भी बालिका वंचित न रहे, इसके लिए समुदाय और परिवारों की सक्रिय



भागीदारी आवश्यक है।

इस दौरान उन्होंने उपस्थित रजिस्टर, शैक्षणिक अभिलेख, प्रगति रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, वहाँ शिक्षिकाओं को तत्काल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने तथा केंद्रों के संचालन में और अधिक प्रभावी कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम समन्वयक राधावल्लभ जांगड़ ने कहा कि बालिकाओं की नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही इस अभियान की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने शिक्षिकाओं से पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का

आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक बालिका तक शिक्षा का अधिकार पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपनी बेटियों को नियमित रूप से शिक्षा केंद्र भेजें और उनकी पढ़ाई में सहयोग करें, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षिकाओं, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों से बालिका शिक्षा कार्यक्रम और अधिक प्रभावी होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां शिक्षा के माध्यम से अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगी।

है। हालांकि, इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

लोग पूछ रहे हैं ये बड़े सवाल

- 9 वर्ष तक सेवा लेने के बाद नियुक्ति पर

अचानक सवाल क्यों उठे?

- बिना कारण बताए और बिना सुनवाई

कार्यकर्ता को क्यों हटाया गया?

- मेरिट में चौथे स्थान पर बताई जा रही

अभ्यर्थी को किस आधार पर नियुक्ति दी गई?

- यदि नियुक्ति में गड़बड़ी थी तो उस समय

के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं

हुई?

- क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और

नियमों के अनुरूप थी?

निष्पक्ष जांच की मांग तेज

क्षेत्र के नागरिकों ने पूरे मामले की स्वतंत्र और

निष्पक्ष जांच कराने, भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी

दस्तावेज सार्वजनिक करने तथा यदि किसी स्तर

पर अनियमितता पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों

के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि नई

नियुक्ति तथा विभागीय प्रक्रिया को लेकर

लगाए गए आरोप शिकायतकर्ताओं के हैं। इन

आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अथवा सक्षम

प्राधिकारी द्वारा जांच का अंतिम निष्कर्ष अभी

सामने आना शेष है।

चंबल नहर पर किसानों का हल्ला बोल

2500 क्यूसेक पानी और 75 दिन सतत जल प्रवाह की मांग चेतावनी— नहीं मानी मांग तो होगा बड़ा आंदोलन

जिला ब्यूरो – संगीता गुप्ता

श्याोपुर। खरीफ सीजन के बीच सिंचाई संकट गहरानेपू श्याोपुर जिले के किसानों का सन्न जवाब देने लगा है। ग्राम ढोटी स्थित चंबल मुख्य दहिनी नहर पर सोमवार को बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए और किसान नेता राधेश्याम मीणा मूंड़ला के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन कर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की जोरदार मांग उठाई। किसानों ने सिंचाई विभाग के एसडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सीपते हुए कोटा बैराज से तत्काल 2500 क्यूसेक पानी छोड़ने तथा लगातार 75 दिनों तक जल प्रवाह बनाए रखने की मांग की।

धरना-प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि यदि समय रहते पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो जिले की हजारों हेक्टेयर खरीफ फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जिसका सीधा असर किसानों की आजीविका पर पड़ेगा।

कम बारिश और बिजली संकट से बड़ी किसानों की मुश्किल



किसान नेता राधेश्याम मीणा मूंड़ला ने बताया कि इस वर्ष जिले में सामान्य से कम वर्षा हुई है। दूसरी ओर जर्जर विद्युत व्यवस्था के कारण नलकूपों और सिंचाई संसाधनों का भी समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जिले के अधिकांश किसान धान सहित खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए पूरी तरह चंबल मुख्य दहिनी नहर पर निर्भर हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोटा बैराज से सीमित मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण नहर की उपशाखाओं और माइनर नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा। सबसे अधिक परेशानी अंतिम सिरो पर बसे किसानों को हो रही है, जहां खेत सूखने लगे हैं और फसलें

संकट में हैं।
किसानों की प्रमुख मांगें
ज्ञापन में किसानों ने शासन से मांग की है कि—
- कोटा बैराज से तत्काल 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए।
- लगातार 75 दिनों तक चंबल मुख्य दहिनी नहर में निर्बाध जल प्रवाह बनाए रखा जाए।
- सभी उपशाखाओं और माइनर नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाए।
- जल संसाधन विभाग नियमित निगरानी कर पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित करे।
- आवश्यकता पड़ने पर राजस्थान सरकार से हो और एक स्तर में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी समन्वय स्थापित कर श्याोपुर जिले के किसानों के

लिए अतिरिक्त सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाए।

‘फसल बचाओ, किसान बचाओ’ की उठी आवाज
: धरना स्थल पर किसानों ने कहा कि यदि समय रहते पानी नहीं मिला तो धान सहित अन्य खरीफ फसलें पूरी तरह चौपट हो सकती हैं। किसानों ने सरकार से आग्रह किया कि संकट की इस घड़ी में त्वरित निर्णय लेकर सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

आंदोलन की चेतावनी
: धरने के दौरान किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि ऐसी स्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की जनअसुविधा और आंदोलन की जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। धरना-प्रदर्शन में सरदार बरियाम सिंह, सरदार कश्मीर सिंह, सरपंच राममुकेश मीणा (प्रेमसर), सरपंच कमल मीणा (बिलवाड़ा), महावीर मीणा (किलोरच), रामराज मीणा (पच्चीपुरा), कमल किशोर (ढोकरिया), संजू (ढोकरिया), गिरांज, अमरीक सिंह, रामसिंह, नरोत्तम, अरविंदर सिंह, लखमीचंद, मनोष, विकास, विजय सिंह, निरंजन, गौरी शंकर सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे और एक स्तर में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग उठाई।

शिवपुरी और पोहरी को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग, को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक सगर ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन...

शिवपुरी (निज संवाददाता)। जिला शिवपुरी एवं पोहरी विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण उपजे जल संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेट्री ने चिंता जताई है। कांग्रेस कमेट्री के जिला उपाध्यक्ष अशोक सगर ने कलेक्टर महोदय, जिला शिवपुरी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र को अविलंब सूखाग्रस्त (सूखा) घोषित करने तथा प्रभावित किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने की मांग की है।

बुवाई न होने से किसान आर्थिक संकट में

ज्ञापन में बताया गया है कि 20 जुलाई तक भी जिले में पर्याप्त और नियमित वर्षा नहीं हुई है। वर्षा के अभाव में जिले के अधिकांश क्षेत्रों में अब तक खरीफ फसलों की बुवाई (बीनी) नहीं हो सकी है। जहां बुवाई हुई भी है, वहां बारिश न होने से फसलें प्रभावित होकर सूखने की कगार पर हैं। कुएं, तालाब, नहरें और अन्य छोटे-छोटे जलस्रोत सूख रहे हैं, जिससे पेयजल एवं मवेशियों के चारे का



गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

पोहरी विधानसभा में हालात अधिक चिंताजनक

विशेष रूप से पोहरी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता अशोक सगर ने बताया कि बारिश न होने से यहां किसानों की आजीविका पर बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। किसान इस समय भारी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं।

ज्ञापन में की गई प्रमुख मांगें:

तत्काल सबेरे पूरे जिले एवं पोहरी विधानसभा क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का सर्वे कराकर शासन को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव भेजा जाए।

मुआवजा व राहत: किसानों को नियमानुसार राहत राशि, मुआवजा तथा फसल बीमा का लाभ दिलाया जाए।

ऋण वसूली पर रोक: किसानों की ऋण वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

सहायता सामग्री: किसानों को नि:शुल्क बीज, खाद सहायता, मवेशियों के लिए चारा एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक व आवश्यक कार्रवाई करेगा।

शिवपुरी में आदिवासी परिवारों की पुश्तैनी जमीन पर बुलडोजर! घर-झोपड़ियां तोड़ीं, खड़ी फसल उजाड़ी, क़ेशर के लिए जमीन खाली कराने के आरोप

शिवपुरी/नखर निज संवाददाता)।

। शिवपुरी जिले की नखर तहसील के ग्राम खरखेड़ा (थारखेड़ा) में आदिवासी परिवारों की पुश्तैनी जमीन पर हुई कार्रवाई ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से जिस भूमि पर वे खेती कर रहे थे और जहां उनके मकान, झोपड़ियां तथा आजीविका का आधार मौजूद था, उसी भूमि को विवाद और शिकायतें लंबित रहने के बावजूद लीज पर देकर प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में बेदखली की कार्रवाई कर दी गई। ग्रामीणों के अनुसार सर्वे क्रमांक 1405, 1440/2 तथा आसपास के अन्य सर्वे नंबर पर कई आदिवासी परिवार वर्षों से खेती कर रहे थे। उनके घर, झोपड़ियां और खड़ी फसलें भी वहीं थीं। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान केवल लीज वाली भूमि ही नहीं, बल्कि आसपास की उन जमीनों को भी खाली कराया गया जिन पर लंबे समय से



आदिवासी परिवारों का कब्जा था। इस दौरान घर-झोपड़ियां तोड़ दी गईं और खेतों में खड़ी हरी फसल भी नष्ट कर दी गई।

पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने समय-समय पर कलेक्टर, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को कई आवेदन देकर बताया था कि वे वर्षों से उक्त भूमि पर खेती कर रहे हैं तथा मामला विवादित है। इसके बावजूद उनकी आपत्तियों का अंतिम निराकरण किए बिना बेदखली और कब्जा दिलाने

की कार्रवाई कर दी गई।

ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में पहले से संचालित प्रभावशाली क़ेशर संचालकों के हित में गरीब आदिवासी परिवारों पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन से हटाय़ा जा रहा है ताकि भविष्य में खनन और क़ेशर संचालन के लिए जमीन उपलब्ध हो सके। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

आदिवासी परिवारों का कहना है कि

जिन लोगों का जीवन खेती पर निर्भर था, आज वे बेघर होने के साथ-साथ अपनी आजीविका भी खो चुके हैं। उनका आरोप है कि यदि इसी प्रकार गरीब और आदिवासी परिवारों को हटाकर प्रभावशाली लोगों के लिए जमीन खाली कराई जाती रही तो यह आदिवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा।

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मांग की है कि वे स्वयं इस पूरे मामले का संज्ञान लें, लीज प्रक्रिया, बेदखली कार्रवाई और प्रशासनिक निर्णयों की निष्पक्ष जांच कराएं तथा यदि जांच में किसी भी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन या दबाव डालकर कार्रवाई कराने के तथ्य सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही बेघर हुए आदिवासी परिवारों को न्याय, मुआवजा और

अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए - अध्यक्ष डॉ कैलाश जाटव...



शिवपुरी (निज संवाददाता)। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ कैलाश जाटव शिवपुरी जिले के दो दिवसीय प्रवास पर हैं। उन्होंने शिवपुरी जिले के प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित कर्यायाकारी योजनाओं के निर्देश दिए हैं।

अध्यक्ष डॉ कैलाश जाटव पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति आर्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत राशि वितरण, सिविल सेवा

प्रोत्साहन योजना, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, एससी बस्ती विकास, महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना आदि की समीक्षा की। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लेकर टीम गठित कर महाविद्यालयों में निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।

बैठक में कृषि विभाग, पशुपालन, विद्युत, शिक्षा, मत्स्य पालन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि विभागों की समीक्षा की गई और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

छात्रावास में व्यवस्थाओं पर निगरानी के निर्देश

अध्यक्ष डॉ कैलाश जाटव ने कहा है कि अनुसूचित जाति छात्रावासों में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जाए। छात्रावासों में राज्यपाल, प्रधानमंत्री सहित महापुरुषों के फोटो लगाए जाएं जिससे छात्रावास में रहने वाले बच्चों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले। छात्रावासों में गुणवत्ता युक्त भोजन मिलना चाहिए। पेयजल, साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कन्या छात्रावासों में सुरक्षा के प्रबंध सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

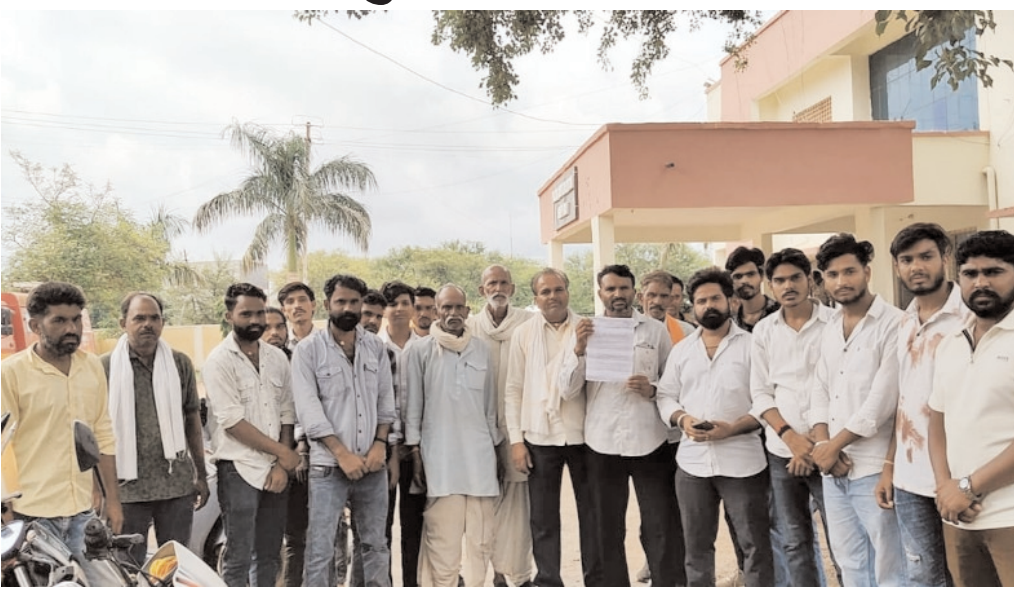
अनुपस्थित छात्रावास अधीक्षकों पर कार्यवाही के निर्देश शासकीय अनुसूचित जाति सौमित्र बालक छात्रावास उकूरपुरा एवं करौंद के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर लापरवाही पर आयोग अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए। छात्रावास अधीक्षकों की इस लापरवाही पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

शिवपुरी (निज संवाददाता)। जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में दर्ज दुकर्म के एक चर्चित मामले में नया मोड़ सामने आया है। मुकदमे में नामजद आरोपी विशाल रावत के पिता ने मंगलवार को समर्थकों के साथ मंगलवार की दोपहर 1 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आवेदन सौंपा है। पिता ने आरोप लगाया है कि पुरानी रॉजश के चलते उनके नाबालिग बेटे को झूठे केस में फंसाया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर आरोपी बालिग है।

एसपी कार्यालय पहुंचे आरोपी के पिता ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला और उसके मायके वालों से उनके परिवार की पुरानी रॉजश चली आ रही है। इसी रॉजश के तहत 14 जुलाई को उनके बेटे विशाल के खिलाफ दुकर्म सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया गया। पिता ने दावा किया कि जिस समय की घटना बताई जा रही है, उस वक़्त उनका बेटा किसी अन्य स्थान पर मौजूद था। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने पेन ड्राइव में संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे हैं।

आरोपी के पिता ने यह भी कहा कि उनका बेटा अभी नाबालिग है और उसे वर्तमान में पोहरी उच्च जेल में रखा गया है। उन्होंने मांग उठाई है कि बेटे की मानसिक स्थिति पर विपरीत असर न पड़े, इसके लिए उसे तत्काल किशोर बंदी गृह स्थानांतरित किया जाए।

दूसरी ओर, इस पूरे मामले पर बैराड़ थाना प्रभारी सुरेश शर्मा का कहना है कि आरोपी की शैक्षणिक अंकसूची (मार्कशीट) की जांच की गई है, जिसके अनुसार वह बालिग पाया गया है। पीड़िता



की शिकायत और प्राथमिक तथ्यों के आधार पर एकआईआर दर्ज की गई थी। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी पक्ष द्वारा सौंपे गए पेन ड्राइव, सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी राश्यों की भी बारीकी से जांच कराई जाएगी।

उत्तेरखनीय है कि बैराड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय विवाहिता ने 14 जुलाई को विशाल रावत के खिलाफ दुकर्म, मारपीट और ब्लैकमेलिंग की एकआईआर दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि विशाल पिछले दो साल से उस पर शादी का

दबाव बना रहा था। आरोप के मुताबिक, 24 मार्च 2026 को आरोपी ने उसके घर में घुसकर दुकर्म किया और आपत्तिजनक फोटो खींच लिए, जिनके जरिए वह लगातार ब्लैकमेल करता रहा।

20 अप्रैल 2026 को महिला की शादी हो गई, लेकिन 12 जुलाई को जब वह अपने मायके आ रही थी, तब आरोपी ने रास्ते में रोककर मारपीट की और दोबारा दुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। अब इस मामले में आरोपी पक्ष के मैदान में उतरने और तकनीकी साक्ष्य पेश करने से जांच का दायरा बढ़ गया है।

संपादकीय लिंव-इन रिलेशनशिप : स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता

लिव-इन रिलेशनशिप क्या भारतीय समाज और उसकी व्यवस्था के अनुरूप है? क्या इससे सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न नहीं हो रहा है? बिल्कुल इस नए किस्म के रिश्ते से कई तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। आए दिन अपराध के जो नए-नए मामले आ रहे हैं, वह कानूनी दृष्टि से एक बड़ी समस्या बन चुकी है तो समाज में अविश्वास का भाव उत्पन्न हो रहा है। जिस सनातनी समाज की हम कल्पना करते हैं, वहां वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वहां इस तरह के नए रिश्तों को कोई जगह नहीं है। अलग-अलग किस्म के सर्वे में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब लड़कियां जल्द शादी नहीं करना चाहती हैं । कई ऐसे सेलिब्रेटी हैं जिन्होंने पिछले दिनों भारतीय विवाह संस्था को बेकार और बेकाम साबित करने वाले बयान दिए हैं। भारतीय वैवाहिक संस्था किसी धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सुविचारित अनादिकाल से बनी हुई है। विवाह का अर्थ केवल संतान उत्पन्न करना नहीं है अपितु दो परिवार आपस में मिलते हैं और समग्र विकास, सहयोग और विश्वास का रिश्ता बनता है। यही भारतीयता का मूल आधार है लेकिन लिंव-इन रिलेशनशिप ने जैसे इसे ताक पर रख दिया है।

जब हम कानून के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं तो कानून समाज में सभी के अधिकारों की बात करता है और इसे उसका दायित्व माना जा सकता है। जैसा कि लिंव-इन रिलेशनशिप के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। इस पर समाज में लंबे समय से विमर्श चल रहा है और बातें आगे भी होती रहेंगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के अंतर्गत लिंव-इन रिलेशनशिप को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

यह कानून वर्तमान समय में सामाजिक और कानूनी दृष्टि से चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। सरकार का उद्देश्य लिंव-इन संबंधों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संभव है कि जल्द ही प्रस्तावित प्रावधान अमल में लाया जा सके। सरकार जो कर सकती है, वह कर रही है।

प्रस्तावित नए कानून में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि लिंव-इन संबंध में रहने वाले जोड़ों को अपने संबंध का पंजीकरण एक निर्धारित समय में, अर्थात् एक महीने के भीतर कराना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना ​​​​है कि इससे संबंधों में पारदर्शिता आएगी तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों को कम किया जा सकेगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय में अपने लिंव-इन संबंध का पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार नियमों के उल्लंघन पर दंड और कारावास का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करना है।

सरकार को चिंता इस बात से जाहिर होती है कि इस कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा है। कई बार लिंव-इन संबंधों में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संबंध टूटने की स्थिति में महिलाओं के लिए भरण-पोषण, संपत्ति और बच्चों के देखभाल से जुड़े प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रस्तावित कानून इन समस्याओं के समाधान के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रयास करता है। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए इसके अतिरिक्त, लिंव-इन संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों को भी समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना ​​​​है कि किसी बच्चे के अधिकार उसके माता-पिता की वैवाहिक स्थिति पर निर्भर नहीं होने चाहिए। इसलिए ऐसे बच्चों को उत्तराधिकार और अन्य कानूनी अधिकार प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

उपरोक्त बिंदु से सरकार की राया साफ है कि वह हर स्थिति में ऐसे रिश्ते में रहने वाली स्त्री को सुरक्षा दिलाना चाहती है। अब कई बार समाज का दायित्व होता है कि कानूनन लिंव-इन रिलेशनशिप भले ही नाजायज ना हो लेकिन समाज की दृष्टि में वह जायज नहीं है। भारतीय कानून ने ही विवाह के लिए लड़के और लड़की की उम्र का निर्धारण कर उसे वैयक्त अथवा अवस्यक बताया है। रूढ़िवादी भारतीय समाज का मानस बदलने के लिए राजा राममोहन राय ने विधवा विवाह परंपरा की शुरुआत की। जो लोग अकेले हो गए हैं, उसे सनातनी संस्कृति में नवजीवन शुरू करने का प्रावधान है फिर यह लिंव-इन रिलेशनशिप जैसे रिश्तों में उलझने की जरूरत ही क्या है।

जब लोग लिंव-इन रिलेशनशिप के खतरे को समझ जाएँ या मानने लगेंगे तो सरकार और कानून पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव स्वयमेव समाप्त हो जाएगा। कथित विकासवादी सोच के लोगों के लिए लिंव-इन रिलेशनशिप जरूरी हो सकता है औवे राज्य शासन के प्रस्तावित प्रावधान के खिलाफ हैं। प्रावधान पर कुछ आलोचकों का कहना है कि लिंव-इन संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है और अनिवार्य पंजीकरण से निजात के अधिकार पर प्रभाव पड़ सकता है। उनका मानना ​​​​है कि राज्य को व्यक्तिगत संबंधों में अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

वहीं कुछ लोग इसे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम मानते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मत है कि यदि इस कानून को संतुलित तरीके से लागू किया जाए, तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए, जिन्हें लिंव-इन संबंध टूटने के बाद कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता, यह कानून सहायक सिद्ध हो सकता है। दूसरी ओर, कानून बनाते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के संवैधानिक अधिकारों का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

कुछ सामाजिक विचारकों और पारंपरिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के अनुसार लिंव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिलने से विवाह संस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विवाह भारतीय समाज की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था रही है, जो केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का भी संबंध मानी जाती है। यदि बिना विवाह के साथ रहने को कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, तो युवाओं में विवाह के प्रति प्रतिबद्धता और उसकी सामाजिक महत्ता कम हो सकती है।

लिव-इन संबंध अपेक्षाकृत कम औपचारिक और आसानी से समाप्त किए जा सकने वाले संबंध माने जाते हैं। इससे दीर्घकालिक पारिवारिक स्थिरता प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जाती है। कुछ लोगों का मानना ​​​​है कि इससे विवाह, परिवार और पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था कमजोर हो सकती है। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा बच्चों के पालन-पोषण से जुड़े पारंपरिक धारणाओं में भी परिवर्तन आ सकता है। यह एक दृष्टिकोण मात्र है।

कई विशेषज्ञों का मत है कि किसी भी संबंध की मजबूती केवल कानूनी व्यवस्था पर नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, जिम्मेदारी और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए विवाह संस्था पर वास्तविक प्रभाव समय के अनुसार परिवर्तन के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगा। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में लिंव-इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रस्तावित कानून भारतीय समाज और कानूनी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है। यह कानून एक और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को मजबूत करने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार को लेकर नई बहस उत्पन्न हो गई है।

समय-समय पर डंबकर भी सजग करते रहे हैं कि अधिक उम्र में विवाह अनेक शारीरिक समस्या का कारण बनता है, खासतौर पर माँ-बाप बनने में वहीं लिंव-इन रिलेशनशिप में आप संतान उत्पति के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन बच्चे के कानूनी अधिकार पर सब खामोश हैं और ऐसे में राज्य सरकार का प्रावधान अनुकूल है। भारतीय समाज में यह अधानुकरण भविष्य के लिए खतरा साबित हो रहा है। रिश्तों में अविश्वास उत्पन्न हो गया और युवा वर्ग लिंव-इन रिलेशनशिप में स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझ बैठ है।

संसद मार्च : सीजेपी की अराजकता, ये भारत के युवा नहीं हो सकते?

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

दिल्ली में संसद मार्च के दौरान सामने आए दृश्य आज प्रत्येक देशभक्त भारतवासी को चिंता में डाल रहे हैं। जिसने भी इन्हें देखा, प्रतिक्रिया एक ही सामने आ रही थी, ये अराजकता भारत के युवा चरित्र पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। यदि लोकतांत्रिक विरोध के नाम पर बैरिकेड तोड़े जाएं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, पुलिस पर पथराव हो, संसद तक बलपूर्वक पहुंचने का प्रयास किया जाए और सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषणों तथा अशुभ सूचनाओं के माध्यम से वातावरण को और उग्र बनाया जाए, तब स्वाभाविक रूप से यही कहा जाएगा कि क्या यहीं वह युवा है, जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द, महात्मा गांधी और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे भारत के महान देशभक्तों ने की थी?

स्वामी विवेकानन्द ने भारत के युवाओं के लिए ऊर्जावान के साथ चरित्रवान होने का स्वप्न देखा था। उनका प्रसिद्ध कथन है, ‘हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके।’ उन्होंने युवाओं से ‘उठो, जागो और तब तक मत सोच जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए’ का आह्वान अवश्य किया, किंतु कहीं भी यह नहीं कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कानून तोड़ो, हिंसा करो या समाज में अराजकता फैलाओ। विवेकानन्द के लिए युग्य वह था, जो अपने आत्मबल, संयम और राष्ट्रभक्ति से समाज का नेतृत्व करें।

महर्षि अरविन्द भी भारत के युवाओं को राष्ट्र की

आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति मानते हैं। उनका विश्वास है कि भारत का पुनर्जागरण राजनीतिक के स्थान पर चरित्रवान युवाओं से होगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का आधार आत्मानुशासन है। यही कारण है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी महान युवा सामने आए, उन्होंने संघर्ष अवश्य किया, परंतु राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करना, समाज में भय का वातावरण बनाना अथवा भीड़ के उन्माद को नेतृत्व मानना कभी स्वीकार नहीं किया।

यहां महात्मा गांधी के विचारों को भी समझना उर्पुर्जत होगा, वे कहते हैं, ‘ अहिंसा निर्बलों का नहीं, वीरों का अस्त्र है।’ लोकतंत्र में अस्हमति का अधिकार मौलिक है, किंतु हिंसा किसी भी आंदोलन की नैतिक शक्ति को समाप्त कर देती है। यदि किसी आंदोलन का परिणाम आम नागरिकों की पीड़ा, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति और कानून-व्यवस्था का संकट बन जाए, तो वह जनआंदोलन कैसे कहला सकता है? वह तो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ने का कार्य है। विरोध और विध्वंस में यही मूल अंतर है, जिसे कॉकरोच जनता (सीजेपी) को अपने प्रदर्शन के दौरान समझना चाहिए था। क्या आज हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के अनुसार देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यहीं युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, किंतु यदि यह शक्ति राष्ट्र निर्माण के स्थान पर अराजकता की दिशा में मुड़ जाए, तब फिर क्या कहा जाएगा, सच पुष्टि तो यही स्थिति एक सफल देश के लिए उसकी सबसे बड़ी ज़ासदी बन जाती है, जैसा कि दृश्य दिल्ली में दिखा है।

समान नागरिक संहिता : संविधान के अधूरे संकल्प से सामाजिक समरसता की ओर

कृष्णमोहन झा

भारत का संविधान केवल शासन संचालन का दस्तावेज नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी घोषणापत्र है। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी, जहाँ नागरिकों के अधिकार उनके धर्म, जाति या पंथ से नहीं, बल्कि उनकी नागरिकता से निर्धारित हों। इसी सोच का प्रतिबिंब संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 44 में दिखाई देता है, जिसमें राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। स्वतंत्रता के लगभग आठ शतक बाद मध्यप्रदेश इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को स्वीकृति दिए जाने और उसे विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने के साथ यह विषय एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है।

समान नागरिक संहिता का विचार नया नहीं है। संविधान सभा में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर का मत था कि आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र में नागरिक अधिकारों का आधार समानता होना चाहिए। वहीं के.एम. मुखर्जी और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर जैसे सदस्यों ने भी नागरिक जीवन से जुड़े मामलों में समान कानूनी व्यवस्था का स्वीकृति किया। हालाँकि तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों और देश की विविधता को देखते हुए इसे मौलिक अधिकारों में शामिल करने के बजाय नीति-निर्देशक तत्वों में रखा गया, ताकि समय के साथ सामाजिक सहमति बनने पर इसे लागू किया जा सके।

पिछले सात दशकों में यह विषय समय-समय पर

न्यायपालिका, विधि आयोग, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच चर्चा का विषय रहा। शोध बानो प्रकरण, सरला मुद्गल जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह टिप्पणी की कि समान नागरिक संहिता पर गंभीर विचार होना चाहिए। इन टिप्पणियों का उद्देश्य किसी भी विशेष पर प्रश्न उठाना नहीं था, बल्कि संविधान में निहित समानता के सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित करना था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी स्वतंत्रता के बाद से समान नागरिक संहिता का निरंतर समर्थन किया है। संघ का मानना ​​​​रहा है कि व्यक्तिगत कानूनों में समानता राष्ट्रीय एकात्मता और समान नागरिक अधिकारों को मजबूत करेगी। दूसरी ओर अनेक धार्मिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और समाजिक कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि किसी भी परिवर्तन को व्यापक संवाद, विश्वास और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की यही विशेषता है कि बड़े सुधार केवल कानून बनाकर नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से स्थायी रूप से स्थापित होते हैं।

उत्तराखंड द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद अब मध्यप्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की, व्यापक जनसुझाव आमंत्रित किए और उसके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार किया। सरकार का कहना है कि लाखों सुझाव प्राप्त हुए तथा व्यापक स्तर पर परामर्श के बाद यह मसौदा तैयार किया गया।

प्रस्तावित प्रावधानों में बहुविवाह पर रोक, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, तलाक की विधिक प्रक्रिया, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार तथा कुछ

संसद मार्च के दौरान जो घटनाएं सामने आईं, वस्तुतः उनमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, यातायात का ठप हो जाना तथा सोशल मीडिया पर उग्र और विवादित वीडियो का प्रसार, इन सबने लोकतांत्रिक विरोध और भीड़तंत्र के बीच की रेखा को आज पुनः चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कई वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं होने के बाद भी जिस तरह से उनका प्रसार किया जा रहा था, उससे यही समझ आता है कि भारत को कैसे अराजक बनाया जा सकता है, इसके लिए लगता है, देश में कई शक्तियां कार्य कर रही हैं जोकि इस शांति मार्च के नाम पर एक साथ आती हुई दिखाईं।

एक दूसरा दृश्य भी भारत में दिखाते हैं, जिसमें स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ावा शामिल। चंद्रयान, आदित्य-एल1, डिजिटल भूगतान, नवचार और विश्वस्तरीय स्टार्टअप परिस्थितिकी ने यह सिद्ध किया है कि जब भारतीय युवा अपनी प्रतिभा का उपयोग निर्माण में करता है, तो वह पूरी दुनिया को चकित कर देता है। दूसरी ओर जब इन्हीं युवाओं का एक वर्ग अपनी ऊर्जा हिंसा, तोड़फोड़ और भीड़ के उन्माद में व्यर्थ करता दिखता है, तो यह राष्ट्रीय क्षमता की हानि के रूप में दिखाई देता है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक और चिंताजनक पक्ष सोशल मीडिया की भूमिका है। आज कुछ सेकंड का वीडियो लाखों लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर देता है। बिना सत्यापन के प्रसारित वॉ, उत्तेजक भाषण और आधी-अधूरी सूचनाएं भीड़ को भड़काने का माध्यम बन जाती हैं। उन राजनीतिक

दलों को भी आत्मसंथन करना चाहिए, जोकि अपने हित में देश की युवा शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। युवा शक्ति को राजनीतिक प्रदर्शन का औजार बनाना किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत कभी नहीं हो सकता। ध्यान रहे, लोकतंत्र में सत्ता बदल सकती है, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन यदि युवा पीढ़ी का चरित्र बदल गया तो उसकी भरपाई किसी राजनीतिक परिवर्तन से नहीं हो सकेगी।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कहा कहते थे, ‘संपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।’ उनका सपना ऐसा भारत था, जहाँ युवा प्रयोगशालाओं में शोध करें, उद्योग स्थापित करें, विज्ञान और तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करें तथा समाज को नई दिशा दें। वास्तव में इस परिभाषा से वही भारत का वास्तविक युवा है जो निर्माण करता है, विनाश नहीं; जो समाधान खोजता है, संकट नहीं बढ़ाता; जो राष्ट्र को जोड़ता है, तोड़ता नहीं और न ही दिल्ली जैसी अराजकता बिल्डिंगों में घुसकर एवं खड़े वाहनों में तोड़-फोड़ करके फैलता है!

आज जो भी देश में अराजकता व्याप्त में लगे हैं, वे समझ लें कि पत्थर कभी विचार का स्थान नहीं ले सकते और भीड़ कभी चरित्र का विकल्प नहीं बन सकती। स्वामी विवेकानन्द का युवा हाथ में पुस्तक लेकर चलता है; वह किसी पर पत्थर फेंककर सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करता है, वह तो राष्ट्र की संपत्ति बढ़ाता है और समाज को संगठित करता है, इसलिए संसद मार्च की घटनाओं के बाद सबसे बड़ा प्रश्न ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) यही है कि वे अपने आन्दोलन से भारत के युवाओं को किस दिशा में ले जा रही है?

समान नागरिक संहिता : संविधान के अधूरे संकल्प से सामाजिक समरसता की ओर

रहेगी। अन्य राज्य भी इस अनुभव का अध्ययन करेंगे। यदि यह मॉडल न्यायपूर्ण, पारदर्शी और प्रभावी सिद्ध होता है, तो यह देशव्यापी विमर्श को नई दिशा दे सकता है। यदि इसमें व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं, तो उनसे भी सीख लेकर आगे की नीति को बेहतर बनाया जा सकेगा। लोकतंत्र की यही शक्ति है कि वह प्रयोगों से सीखता है।

भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता है। भाषा, संस्कृति, परंपरा और आस्था की इस विविधता को सुरक्षित रखते हुए समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करना आसान कार्य नहीं है। यही कारण है कि समान नागरिक संहिता पर चर्चा केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि संवैधानिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी होनी चाहिए। इस विषय पर मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन मतभेदों के बीच संवाद बना रहना लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

अंततः समान नागरिक संहिता का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि क्या यह संविधान की मूल भावना—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को और अधिक मजबूत करती है। यदि यह कानून नागरिकों को समान अधिकार देने के साथ सामाजिक विश्वास भी अर्जित करता है, तो मध्यप्रदेश की यह पहल केवल एक राज्य का विधायी निर्णय नहीं रहेगी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के विकासक्रम में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद की जाएगी।

संविधान हमें केवल अधिकार नहीं देता, वह एक दिशा भी देता है। समान नागरिक संहिता उसी दिशा में बढ़ावा गया एक कदम है। अब यह समय बताएगा कि यह कदम भारतीय समाज को अधिक न्यायपूर्ण, अधिक समतामूलक और अधिक समरसे बनाने में कितना सफल होता है।

रायपुर मंडल में ऑटो सिग्नलिंग कार्य, 23-24 जुलाई को कई यात्री ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

रायपुर, 21 जुलाई (हि.स.)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भाटापारा-हथबध स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य किया जाएगा। इसके चलते 23 एवं 24 जुलाई को कुछ यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

रायपुर रेल मंडल से आज मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक अधोसंरचना विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है। एनआई कार्य के दौरान कई मेमू एवं पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जबकि एक मेमू ट्रेन का परिचालन बिलासपुर तक ही सीमित रहेगा।

23 जुलाई को ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त :

गाड़ी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर, 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर, 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर, 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर, 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर, 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर तथा 68746 रायपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर।

24 जुलाई को यह ट्रेन रहेंगी निरस्त :

गाड़ी संख्या 68745 कोरबा-रायपुर मेमू पैसेंजर।

बिलासपुर तक ही चलेगी मेमू ट्रेन :

23 जुलाई को झारसुगुड़ा एवं गोंदिया से चलने वाली गाड़ी संख्या 68862/68861 झारसुगुड़ा-गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन पर ही समाप्त एवं प्रारंभ होगी। इसके कारण बिलासपुर-गोंदिया-बिलासपुर के बीच यह ट्रेन निरस्त रहेगी।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा भारी, अदालत ने सुनाई अनोखी सजा, एक महीने तक करनी होगी सामुदायिक सेवा



चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक भी करना होगा।

जानकारी के अनुसार, जांजीर-चापा पुलिस ने

आरोपित को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा था। यातायात पुलिस ने वाहन जब्त कर उसके खिलाफ मोटर

यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए

बाल वाहिनियों का सघन जांच अभियान जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की कार्रवाई नियमों की अनदेखी पर बसें होंगी सीज



धौलपुर (निज संवाददाता)। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जिला कलक्टर श्रीनिधि वो टी एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निदेशन में जिलेभर में संचालित स्कूल बसों एवं अन्य छात्र परिवहन वाहनों का सघन जांच अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना तथा स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों की पालना

करवाना है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि अभियान के तहत परिवहन निरीक्षक विभिन्न निजी एवं सरकारी विद्यालयों में पहुंचकर स्कूल बसों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। जांच के दौरान वाहन की फिटनेस वैध परमिट बीमा प्रदूषण प्रमाण पत्र अग्निशमन यंत्र फर्स्ट एड बॉक्स सीड गमरंग जीपीएस सीसीटीवी कैमरे अपातकालीन निकास द्वार चालक का लाइसेंस एवं परिचालक की

पात्रता सहित सर्वोच्च न्यायालय एवं परिवहन विभाग के सुरक्षा मानकों की भी जांच की जा रही है उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में कई विद्यालयों की बसों में गंभीर कमियां सामने आई हैं। अनेक वाहनों की फिटनेस समाप्त हो चुकी है, जबकि कुछ बसों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं पाए गए। ऐसे विद्यालय संचालकों को कमियों को दूर करने के लिए विभाग की ओर से निर्धारित समय दिया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के बाद भी यदि वाहन संचालक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित स्कूल बसों को सीज कर दिया जाएगा। साथ ही विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भी पत्र भेजा जाएगा उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को केवल उन्हीं स्कूल वाहनों से भेजें जिनकी फिटनेस वैध हो तथा जिनमें सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा हो। यदि किसी स्कूल वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठया जा रहा हो या वाहन चालक लापरवाही से वाहन चला रहा हो या वाहन असुरक्षित स्थिति में हो तो इसकी सूचना तुरंत परिवहन विभाग अथवा पुलिस प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग का यह विशेष अभियान आगामी दिनों में जिले के सभी विद्यालयों में लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों एवं वाहन संचालकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभिन्न विद्यालयों में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण एवं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का किया आयोजन किया



धौलपुर (निज संवाददाता)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुपालना में स्कूली छात्रों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे नामक एक विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोर छात्रों को उनके विधिक अधिकार कर्तव्य और साइबर अपराध बाल विवाह एवं नशे को ना हो अपने सपनों को हां कहो नशा कोई स्ट्राइक नहीं अपने मन शरीर और भविष्य की रक्षा करें जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक-विधिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना है। जिसके क्रम में संचित रेखा यादव एवं सभी न्यायिक अधिकारीगणों ने विभिन्न विद्यालयों में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण एवं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें न्यायिक अधिकारीगणों ने नालसा द्वारा नालसा ड्रॉन-ड्रग जागरूकता और कल्याण मार्गदर्शन-ड्रग मुक्त भारत के लिए योजना 2025 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज विशेषकर युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक विधिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराना तथा उन्हें पुनर्वास की दिशा में प्रेरित करना है। बच्चों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी एवं विद्यालयों एवं अपने परिवार में नशे की रोकथाम के बारे में भी बताया साथ ही नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्ति के शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर गंभीर दुष्प्रभाव डालता है साथ ही वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ, हरित एवं संतुलित बनाना है। इस अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पौधे लगाकर

उनकी देखभाल की जाती है तथा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखना वायु प्रदूषण को कम करना जल संरक्षण एवं भूजल स्तर में वृद्धि करना जैव विविधता और वन्य जीवों की रक्षा करना आदि है। साथ ही पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का उद्देश्य आमजन को यह जानकारी देना था कि वे बिजली पानी परिवहन डक टेलीफोन अस्पताल आदि जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े विवादों का समाधान स्थायी लोक अदालत के माध्यम से सरल एवं शीघ्र तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लोक उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत मुख्यतः निम्न सेवाएं आती हैं विद्युत जल आपूर्ति परिवहन सेवाएं डक एवं टेलीफोन सेवाएं अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाएं बीमा सेवाएं आती हैं। स्थायी लोक अदालत की विशेषताएं यह अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत गठित होती है इसमें

मुकदमा दायर करने से पहले ही विवाद का समाधान किया जा सकता है प्रक्रिया सरल, सस्ती एवं त्वरित होती है पक्षकारों के बीच समझौते का प्रयास किया जाता है समझौता न होने पर भी लोक अदालत निर्णय दे सकती है यहां कोर्ट फीस नहीं लगती आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए विरुद्ध असुरक्षता और अत्याचार, बाल विवाह, मीडिएशन फॉर दी नेशन अभियान, राष्ट्रीय लोक अदालत व नालसा हेल्पलाइन नंबर 1500, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी। कोर्ट वाली दीदी के बारे में भी जानकारी देते हुए बच्चों को बताया कि इस पेटिका में आपके साथ गलत व्यवहार या जो भी अन्य समस्याएं हैं, आप लिखित शिकायत इस पेटिका में डाल सकते हैं, यह गोपनीय है। इस शिकायत पेटिका को हमारे कार्यालय द्वारा ही शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।

आगरा मंडल के विशेष टिकट जांच अभियान में 20 दिनों में रु.1.86 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित

आगरा (निज संवाददाता)। मण्डल रेल प्रबंधक, आगरा श्री गगन गोयल के दिशा-निर्देश, वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक श्री अशोक गुप्ता के नेतृत्व तथा सहायक वाणिज्य प्रबंधक (कोचिंग) श्री संजय गौतम के मार्गदर्शन में आगरा मंडल के प्रभारी मुख्य टिकट निरीक्षकों एवं टिकट जांच स्टाफ द्वारा मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों एवं विभिन्न रेल खंडों पर दिनांक 01 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 तक विशेष टिकट जांच अभियान मिशन मोड में चलाया गया। इस दौरान रनिंग ट्रेन चेक, स्पॉट चेक, किलेबंदी चेक एवं मॉजस्ट्रेट चेक जैसे विभिन्न सघन जांच अभियान संचालित किए गए, जिनका उद्देश्य बिना टिकट एवं



अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण, रेलवे राजस्व की सुरक्षा तथा यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस विशेष अभियान के दौरान आगरा मंडल ने 9,807 बिना टिकट

यात्रियों से कार्रवाई करते हुए रु.1.06 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। वहीं 9,769 अनियमित यात्रियों से रु.78.35 लाख, बिना बुक सामान के 8 मामलों से रु.3,065 तथा 1,681 गंदगी

(लिटर) के मामलों में रु.1.71 लाख का जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार कुल 21,265 मामलों में कार्रवाई करते हुए आगरा मंडल ने रु.1.86 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित किया।

जन संपर्क अधिकारी संजय कुमार मौलाम द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के टिकट जांच अभियान मण्डल में निरंतर चलाये जायेंगे, जिससे मंडल के अंतर्गत अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों पर रोक लगाई जा सके।

अनः यात्रियों से अनुरोध है कि वह उचित टिकट लेकर तथा सीमा से अधिक सामान को बुक करारकर ही यात्रा करें तथा रेल परिसर में गंदगी एवं धूम्रपान न करें।

आगरा (निज संवाददाता)। आज भूजल सप्ताह के छठे दिन भूजल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं भूजल संसाधनों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु फोह चंद इंटर कॉलेज, लोमा मंडी, आगरा में भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूजल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री अवधेश कुमार भारस्कर, हाइड्रोलॉजिस्ट द्वारा विभिन्न वर्गों के छात्रों को सम्बोधित करते हुए अवगत कराया गया कि भूजल संसाधन वर्तमान में अनियंत्रित दोहन के परिणाम स्वरूप दबाव की स्थिति में है। वर्तमान में भूजल का संरक्षण व संचयन महती आवश्यकता ही नहीं बल्कि अनिवार्यता भी बन गयी है। इस वर्ष भूजल सप्ताह आयोजन के मुख्य विचार बिन्दु 'जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प' के दृष्टिगत उपस्थित छात्र-समूह से जल संरक्षण के छोटे-छोटे उपायों को अपनकर जल संचयन का आह्वान किया गया तथा भूजल संचयन पर लघु प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को प्रशस्ति पत्र व मेडल प्रदान कर



सम्मानित किया गया। उक्त से अतिरिक्त राजकीय इंटर कॉलेज, पचकुइर्यी, शाहगंज, आगरा में भूजल सप्ताह 2026 के आयोजन के क्रम भूजल संचयन एवं संवर्धन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-आगरा द्वारा संयुक्त रूप से छात्रों के साथ भूजल जल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री दीपक कुमार, हाइड्रोलॉजिस्ट द्वारा भूजल के विवेकपूर्ण उपयोग एवं जल बचत के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान पीढ़ी की जल की विजेता छात्रों को प्रशस्ति पत्र व मेडल प्रदान कर

पीढ़ी के लिए जल सुरक्षित कल के सपने को साकार करने हेतु मुख्यतः 04 बिन्दुओं 1-हर बूंद बचावें, 2-केच द रेन, 3-जल को दूसरा जीवन दें (रियूज एण्ड रिसाइकल) एवं 4-जल स्रोतों को साफ रखें पर विस्तृत चर्चा करते हुए कार्यशाला को जल जागरूक किया गया। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित समस्त शिक्षकों एवं छात्रों को 'जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प' स्लोगन को दोहराते हुए संकल्प का आह्वान कर जल संरक्षण अभियान से जोड़ दिया गया। इस विषय पर छात्रों के बीच लिखित लघु प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने किरावली स्टेडियम के अनुरक्षण कार्यों का किया निरीक्षण, लापरवाही पर जिला युवा कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी

आगरा (निज संवाददाता)। मुख्य विकास अधिकारी, आगरा द्वारा आज किरावली स्थित युवा कल्याण विभाग के पूर्व निर्मित स्टेडियम में संचालित अनुरक्षण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टेडियम की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर पाया गया। कार्य की गुणवत्ता सतोषजनक पाई गई। अनुरक्षण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहायक संचय द्वारा कराया जा रहा है। जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अनुरक्षण कार्य दिनांक 23.03.2026 से प्रारम्भ हुआ है तथा इसे 29.09.2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान स्टेडियम परिसर में मैदान में झाड़ियाँ, लम्बी घास-पुस तथा जलभराव की समस्या पाई गई। मुख्य विकास अधिकारी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला युवा कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि मैदान की समुचित लेवelling एवं ड्रेजिंग करारक उसे खिलाड़ियों के



उपयोग हेतु शीघ्र तैयार कराया जाए। साथ ही स्टेडियम परिसर में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

स्टेडियम परिसर में बने कवरों एवं हॉल में बोर्ड के दबाव लगाए जा रहे थे। इस पर निर्देश दिए गए कि यदि तकनीकी रूप से संभव हो तो बोर्ड के स्थान पर अधिक टिकाऊ एवं सुरक्षित लोहे के दबाव लगाए जाएं।

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि स्टेडियम की बाहरी दीवार से सटे मकानों की ओर से पानी की निकासी न होने के कारण परिसर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में जिला युवा कल्याण अधिकारी को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका किरावली से समन्वय स्थापित कर शीघ्र एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी

ने स्टेडियम में स्थानीय खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खेल अवसरचना के सुदृढीकरण हेतु खेल सुविधाओं के विकास की विस्तृत कार्ययोजना (Sports Facilities Plan) तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान स्टेडियम के रखरखाव एवं अनुरक्षण में लापरवाही पाए जाने पर जिला युवा कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया कि सभी कमियों का सम्यक्दृढ़ निपटारण सुनिश्चित करते हुए अनुरक्षण कार्यों की नियमित एवं प्रभावी निगरानी की जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि सभी अनुरक्षण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं, ताकि स्टेडियम को शीघ्र ही खिलाड़ियों के उपयोग हेतु पूर्ण रूप से विकसित किया जा सके।



धौलपुर (निज संवाददाता)। शहर के मुख्य बस स्टैंड के पास मॉलवार को लंबे समय तक धीरान यातायात जाम लगा रहा जिससे यात्रियों कोचिंग छात्रों व्यापारियों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जाम के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात को सुचारु कराने के बजाय मोबाइल फोन चलाने में व्यस्त दिखाई दिया। इस दौरान सड़क पर लगातार वाहनों की संख्या बढ़ती



रही और जाम की स्थिति और गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड क्षेत्र शहर का सबसे व्यस्त इलाका है, जहां दिनभर बसों ऑटो ई-रिक्शा और निजी वाहनों का भारी दबाव रहता है। ऐसे में यदि समय रहते यातायात का प्रभावी संचालन नहीं किया जाए तो कुछ से मिनटों में लंबा जाम लग जाता है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि व्यस्त समय में अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मीयों की तैनाती की जाए तथा ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

एनएसयूआई धौलपुर ने दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में किया मोदी का पुतला दहन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा



धौलपुर (निज संवाददाता) राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निंद्य छात्रों पर मोदी सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज और अत्याचार के विरोध में एनएसयूआई धौलपुर इकाई द्वारा एनएसयूआई प्रदेश महामंत्री पंकज तिवारी एवं जिला एन एस यू आइ जिला अध्यक्ष गोवर्ध पोसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कालेज परिसर में पुतला दहन किया और सरकार विरोधी जोरदार नारेबाजी की इस अवसर पर एन एस यू आइ प्रदेश महामंत्री पंकज

तिवारी ने कहा कि छात्रों की आवाज को तानाशाही रवैये से दबाने का प्रयास कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की आवाज को किसी भी कीमत पर दबा नहीं सकती कांग्रेस पार्टी छात्रों के हित में सड़क से लेकर संसद तक मजबूती के साथ खड़ी है जब-जब जुल्मी जुलूम करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूँज उठेगा इंकलाव के नारों से जिला एन एस यू आइ अध्यक्ष गोवर्ध पोसवाल ने कहा कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए उन्होंने कहा कि इस्तीफे से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है, चाहे यह संघर्ष कितना भी लंबा क्यों न चलना पड़े इस्तीफा देना ही पड़ेगा इस अवसर पर बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री पंकज तिवारी जिला अध्यक्ष गोवर्ध पोसवाल जिला सचिव जितेंद्र सचिन कंसाना अजीत राम ब्रिज सिंह विवेक कुमार अतुल कुमार एनएसयूआई धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष मनीष कुमार राज रोहित कुमार रितिक कुमार और अन्य कई छात्र उपस्थित रहे।

धौलपुर की महिला कांग्रेस नेताओं ने संसद मार्च में लिया हिस्सा महिला आरक्षण शीघ्र लागू करने की उठाई जोरदार मांग

धौलपुर (निज संवाददाता)। नई दिल्ली महिला आरक्षण को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्का लांबा एवं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सावित्रा सिंह के नेतृत्व में आयोजित चलो संसद अभियान में देशभर से हजारों महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग को बुलंद करना था। इस ऑटोलन में धौलपुर से राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा एवं जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर की जिला महासचिव रोशनी शिवहरे भी शामिल हुईं। उन्होंने प्रदेश एवं जिले की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला अधिकारों और महिला आरक्षण की मांग को मजबूती से उठाया कार्यक्रम के दौरान



महिला कांग्रेस कार्यकर्ता संसद की ओर कूच कर अपनी मांग लोकांतिक तरीके से संसद तक पहुंचाना चाहती थीं लेकिन प्रशासन ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बावजूद महिला कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण

ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया और महिला आरक्षण के समर्थन में जोरदार नारे लगाए इस अवसर पर रोशनी शिवहरे ने कहा कि महिलाओं की आवाज को बैरिकेड लगाकर नहीं रोकना जा सकता। लोकतंत्र में अपनी बात रखना प्रत्येक

नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। महिला आरक्षण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र को अधिक समावेशी और मजबूत बनाने का विषय है। जब तक महिलाओं को उनका उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक महिला कांग्रेस का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती लीना शर्मा ने कहा कि देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी मिलना समय की मांग है। महिला आरक्षण को अब और टालना उचित नहीं है। केंद्र सरकार को महिलाओं की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। दोनों नेताओं ने कहा कि रास्ते रोकें जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं के अधिकारों की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता महिला कांग्रेस देशभर की महिलाओं के समान अधिकार और राजनीतिक भागीदारी के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी।

भाजपा ने चेहरा बदला, चरित्र नहीं- अवधेश नायक

कांग्रेस प्रत्याशी के साथ नायक ने किया कई गांवों में जनसंपर्क



दतिया (निज संवाददाता)। भाजपा ने चेहरा बदला है, चरित्र नहीं। भाजपा प्रत्याशी को कोई जानता पहचानता भी नहीं, उन्हें जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुने। भाजपा ने नारा दिया राजा और रंक, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह सहज,सरल जनता के जाने पहचाने और परखे हुए हैं, उनके दरबाजे हमेशा लोगों के लिए खुले हैं। आप सब मिलकर कांग्रेस को भारी मतों से जिताकर कुंआर साहब को भोपाल भेजें। यह विचार

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अवधेश नायक ने कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के साथ ग्राम बहादुरपुर, महाराजपुरा,भवानीपुर,निरावल, बिर्डीनिया, रेंडा आदि में जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं से कही। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि मैं पार्टी के आदेश पर आपके बीच चुनाव लड़ने आया हूँ,अब निर्णय आपके हाथ में है। जनसंपर्क में पूर्व विधायक प्राणी लाल जाटव भी उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने दतिया को पीछे धकेला, अब ढाई वर्ष सिर्फ विकास ही होगा- आशुतोष तिवारी

भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने मंगलवार को दतिया विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों एवं दतिया नगर में सघन जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद मांगा

दतिया (निज संवाददाता)। दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने मंगलवार को दतिया विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों रिछरी, नयागांव, जखोरिया, बरगांव, भिटी, रावरी, डगरा, कुआं, हिर्नीतिया, भिल्ला, सुनार, सेवनी, सोनागिर, महेवा, मुरेरा, गोविन्दपुर, रामसागर सहित दतिया नगर के वार्ड क्रमांक 10, 12, 20 और 21 में सघन जनसंपर्क कर नुककड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव



के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार सभी क्षेत्र में विकास के नित नए कीर्तियान स्थापित कर रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार में दतिया के विकास होना ही है। दतिया से भाजपा की जीत ही विकास की गारंटी है। कांग्रेस ने दतिया विधानसभा क्षेत्र को विकास के मामले में बहुत पीछे धकेला है, लेकिन अब

आजाद समाज पार्टी ने भाजपा-कांग्रेस पर साधा निशाना, दोनों पर मिलीभगत का लगाया आरोप



दतिया (निज संवाददाता)। दतिया विधानसभा उपचुनाव में चुनावी माहौल के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी भी खुलकर मैदान में उतर आई है। पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।

दामोदर यादव ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं और दोनों दलों की राजनीति में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि 'जय भीम' का नारा लगाकर वोट मांगने वाले असली नहीं, बल्कि नकली संविधानवादी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह भाजपा

के हित में काम कर रहे हैं तथा कांग्रेस को कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को भाजपा का एजेंट तक बताया। अपने आरोपों के समर्थन में दामोदर यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों और वीडियो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले ट्रेन में भाजपा और कांग्रेस नेताओं की मुलाकात की तस्वीर वायरल हुई थी, जबकि हाल में सामने आए एक वीडियो में जीतू पटवारी और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी एक-दूसरे से गले मिलते दिखाई दे रहे हैं। इन बयानों के बाद दतिया उपचुनाव का राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

एक ही रात में दो थाना क्षेत्रों में मतेशी चोरी का खुलासा, अंतरराज्यीय गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार

श्योपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान तक पहुंचकर दबोचे आरोपी; लाखों का मशरूका पिकअप वाहन बरामद

जिला ब्यूरो – संगीता गुप्ता

श्योपुर। श्योपुर पुलिस ने एक ही रात में देहत थाना एवं मानपुर थाना क्षेत्र में हुई मतेशी चोरी की सनसनीखेज वारदातों का पर्दाफाश करते हुए अंतरराज्यीय पशु चोर गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई दो बैग्स, 19,500 रुपये नकद तथा एक पिकअप वाहन सहित कुल लगभग 9 लाख 39 हजार 500 रुपये का मशरूका बरामद किया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों तथा शेष चोरी गए मवेशियों की तलाश में जुटी हुई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार अग्रवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार एवं एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में गठित विशेष पुलिस टीमों द्वारा की गई। एक ही रात में दो स्थानों पर वारदात से मचा था हड़कंध पुलिस के अनुसार 3-4 जुलाई 2026 की दरमियानी रात देहत थाना क्षेत्र के ग्राम बर्धा बुजुर्ग स्थित नंदबेहर की खिरकाई से फरियादी रामभरत मीणा की 6 बैग्स, जिनकी कीमत लगभग 2.40 लाख रुपये थी, अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए थे। इसी रात मानपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर निवासी मनोज सिंह सिकरवार के बाड़े से भी 8 बैग्स और एक पाड़ा, जिनकी कीमत लगभग 2.70 लाख रुपये बताई गई, चोरी हो गए। एक ही रात में दो थाना क्षेत्रों में हुई इन घटनाओं से पशुपालकों में दहशत फैल गई थी और पुलिस के सामने आरोपियों को पकड़ने की बड़ी चुनौती



खड़ी हो गई थी। तकनीकी साध्य और मुखबिर तंत्र से राजस्थान तक पहुंची पुलिस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल दो विशेष टीमें गठित कीं। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों, साइबर इन्सुट और सक्रिय मुखबिर तंत्र की सहायता से पुलिस को महत्वपूर्ण सुगम मिले, जिनसे पता चला कि चोरी किए गए मवेशियों को राजस्थान की ओर ले जाया गया है। इसके बाद पुलिस टीम ने राजस्थान में दबिश देकर गिरोह के सदस्यों को धर-दबोचा और चोरी का मशरूका बरामद कर लिया।

ये आरोपी हुए गिरफ्तार

- ओमप्रकाश पुत्र सोंजीराम भोंपा, निवासी कालबाड़, जयपुर (राजस्थान)
- सुरेश पुत्र पप्पू भोंपा, निवासी टोंक (राजस्थान)
- नवलत पुत्र पप्पू भोंपा, निवासी टोंक (राजस्थान)
- राकेश पुत्र सोंजीराम भोंपा, निवासी कालबाड़, जयपुर (राजस्थान)
- सोनू पुत्र दुर्गोचंद बाथम, निवासी बंजारा डेम, श्योपुर
- जुगराज जाटव, निवासी चकबमूँलिया

9.39 लाख का मशरूका बरामद

पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई दो बैग्स, 19,500 रुपये नकद तथा वारदात में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन बरामद किया है। बरामद सामग्री की कुल कीमत लगभग 9 लाख 39 हजार 500 रुपये आंकी गई है। इन पुलिस अधिकारियों की रही अहम भूमिका इस कार्रवाई में थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी (देहत), थाना प्रभारी सतीश दुवे (थानपुर), चौकी प्रभारी राहुल रघुवंशी (दुर्गापुर), रानी तोमर, प्रदीप, आरखक सतेन्द्र सिंह जादौन, अरविंद सिंह, चंद्रशेखर शर्मा, गिरवर कुशवाह तथा साइबर सेल के राजबल्लभ यादव, योगेश शर्मा एवं धर्मेन्द्र गुर्जर की भूमिका सराहनीय रही। अन्य आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है तथा शेष चोरी गए मवेशियों की बरामदगी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस सफलता से पशुपालकों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है।

सच टाइम्स

संघर्ष सेवा समिति के स्नेहिल सहयोग से अमरीन मंसूरी का निकाह संपन्न

विनोद कुशवाह

झांसी। सामाजिक सरोकारों को समर्पित संघर्ष सेवा समिति ने एक बार फिर मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अमरीन मंसूरी के विवाह अवसर पर सहयोग एवं समाननपूर्ण विवाह का आयोजन किया।

अठौतना की पुलिस, नगर निवासी स्वर्गीय अब्दुल सलाम एवं रूकसाना मंसूरी की पुत्री अमरीन मंसूरी का विवाह 20 जुलाई 2026 को पारिवारिक एवं सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समिति के संस्थापक डॉ. संदीप सरावगी ने नवविवाहित जोड़े के सुखद एवं मंगलमय दंपत्य जीवन की कामना करते हुए आवश्यक गुहस्थी का सामान, उपहार एवं बेटी धन भेंट कर सम्मानपूर्वक विदाई



प्रदान की, विवाह पूर्व कलर्स ब्यूटी पार्लर के सहयोग से अमरीन को विवाह हेतु सुसज्जित कराया गया।

डॉ. संदीप सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि 'बेटियाँ किसी एक परिवार की नहीं, पूरे

समाज की अमूल्य धरोहर होती हैं। उनके सम्मान, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को आगे आना चाहिए। संघर्ष सेवा समिति भविष्य में भी जरूरतमंद परिवारों के सहयोग के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती

भाजपा ने चुनाव प्रचार रथों को किया रवाना, अभियान को दी नई गति



विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं दतिया उपचुनाव के सह

प्रभारी राहुल कोठरी, संभागा प्रभारी अभय यादव, पूर्व विधायक जीतू जिराती, जिला प्रभारी गजेन्द्र सिकरवार,

जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाह सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे।

PMUMS शिक्षक संगठन की बैठक संपन्न, दिवंगत शिक्षक परिवारों को आर्थिक संबल पहुंचाने के अभियान को गति देने का आह्वान

जिला ब्यूरो – संगीता गुप्ता

श्योपुर। श्री हजारेखर पार्क, श्योपुर में PMUMS (पारस्परिक सहयोग) शिक्षक संगठन की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला एवं ब्लॉक प्रभारियों ने आगामी 5 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक चलने वाले सहयोग अभियान की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। इस बार का सहयोग अभियान श्योपुर जिले के दिवंगत शिक्षक स्वर्गीय मुकेश कुमार दादोरिया के परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित किया जाएगा।

बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने जिले के सभी पंजीकृत सदस्यों से अभियान में अधिक से अधिक सहभागिता निभाने की अपील की। साथ ही जिन सदस्यों की प्रोफाइल अभी लंबित है, उन्हें शीघ्र सक्रिय करावे तथा शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधिक से अधिक कर्मचारियों का नया पंजीयन कराने पर विशेष जोर दिया गया।

जिला प्रभारी भूपेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि ऋक्ष संगठन की यह अनूठी व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी एवं स्वैच्छिक है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत सदस्य किसी दिवंगत कर्मचारी के परिवार के लिए मात्र १45 से १50 का



सहयोग सीधे संबंधित नॉमिनी के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करता है। सभी सदस्यों के सहयोग से एक परिवार को लगभग ₹. 26 से ₹. 27 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जाती है। यह सहयोग अभियान प्रत्येक माह 5 से 20 तारीख तक संचालित किया जाता है।

उन्होंने बताया कि जून 2026 में संगठन ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए प्रदेश के चार दिवंगत कर्मचारी परिवारों को लगभग १1 करोड़ 9 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा कुल १180 का सहयोग किया गया, जिससे चारों परिवारों को लगभग ₹.27-27 लाख की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।



वार्डों में आज़ाद समाज पार्टी प्रत्याशी दामोदर यादव का जनसंपर्क तेज

दतिया (निज संवाददाता)। विधानसभा उपचुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव ने सोमवार को दतिया नगर के वार्ड क्रमांक 31 (अटल बिहारी कॉलोनी), वार्ड 26, वार्ड 32 एवं वार्ड क्रमांक 1 में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने घर-घर पहुंचकर नागरिकों से मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की।जनसंपर्क के दौरान दामोदर यादव ने कहा कि उन्हें विभिन्न वार्डों में लोगों का स्नेह, विश्वास और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि दतिया की जनता बदलाव चाहती है और सामाजिक न्याय, समान अधिकार तथा जनभागीदारी आधारित व्यवस्था के पक्ष में अपना समर्थन दे रही है।दामोदर यादव ने कहा कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वंचित, किसान, युवा, महिलाएँ और मेहनतकश वर्ग आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं।

महाराणा प्रताप मंडल के अध्यक्ष आशु श्रीवास एवं उनकी कार्यकारिणी के द्वारा दतिया में किया जनसंपर्क

समाज के वरिष्ठ जनों से भेंट कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की की अपील

अशोक सोनी ----
9977699599

दतिया -/”भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष

नेतृत्व द्वारा महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष आशु श्रीवास को दतिया विधानसभा उपचुनाव में श्रीवास सेन समाज के बीच जनसंपर्क एवं संगठन को सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी श्री श्रीवास के द्वारा दतिया विधानसभा



उपचुनाव में पहुंच कर बड़ेनी नगर,सोनागिर,दतिया के सामाजिक बंधुओं की बैठक में संवाद कर उपस्थित सभी सामाजिक बंधुओं से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन सहयोग करने के लिए आग्रह किया निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी विजय के पथ पर आगे बढ़ कर जीत को सुनिश्चित करेगी इस अवसर पर कोषाध्यक्ष ब्रजेश गौड़ ,कार्यालय मंत्री संजय जादौन जी,सोशल मीडिया प्रभारी कुलदीप श्रीवास जी,रामनरेश पलिया एवं कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे।

मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा : लहार रोड जनसुनवाई में कलेक्टर ने 83 प्रकरणों में की सुनवाई

- दीपेन्द्र बोहरे -

भिण्ड। जिले में शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मग्र और कलेक्टर भिण्ड क्रिरोड़ीलाल मीणा के निर्देशों के तहत मंगलवार को दूध एवं दुग्ध उत्पादों की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी किरण सेंसर ने लहार रोड पर घेराबंदी कर वहां से गुजर रहे सदस्थि दुग्ध वाहनों को रोककर सघन जांच की।

वाहनों से लिए गए मिश्रित दूध के नमूने अचानक हुई इस चेकिंग से दूध व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान नीलकमल



शर्मा के दुग्ध वाहन क्र. एम.पी.08 जी.ए.1514, सुरेन्द्र दौहरे के दुग्ध वाहन क्र. एम.पी.30 आर.1939 को रोककर दोनों वाहनों से मिश्रित दूध के सैंपल लिए गए।

चिलिंग सेंटर पर भी पड़ी रेड लहार रोड पर कार्रवाई के बाद खाद्य सुरक्षा टीम ने ऊमरी स्थित सुरजीत सिंह यादव के मिल्क चिलिंग सेंटर पर भी दबिश दी। टीम ने चिलिंग

सेंटर की स्वच्छता और दूध की गुणवत्ता का जायजा लेते हुए वहां से भी मिश्रित दूध का नमूना जांच के लिए एकत्र किया।

लैब रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी किरण सेंसर ने बताया कि मौके से जव्त किए गए सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेज दिया गया है।

इनका कहना है: ''आमजन को सेहत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि दूध में मिलावट या मानकों में कमी पाई जाती है, तो संबंधितों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'' किरण सेंसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भिड

भिण्ड। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर क्रिरोड़ीलाल मीणा ने जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर आ 83 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और उनके समस्याएं सुनीं और उनके समस्याएं सुनीं और उनके समस्याओं पर सुनवाई की। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान



कलेक्टर क्रिरोड़ीलाल मीणा ने गंभीर बीमारी से संबंधित इलाज, विद्युत बिलों में सुधार, हेण्डपंपों का संधारण, सड़क दुघटना

सहायता, निर्देश दिए। हितग्राही मूलक योजनाओं, बीपीएल राशन कार्ड एवं जमीन पर कब्जा से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

तत्कालीन तहसीलदार सहित सात के खिलाफ मामला दर्ज

- न्यायालय के आदेश पर हुई एफआईआर

भिण्ड। महाराष्ट्र राज्य के ठाणे में दर्ज एक आपराधिक में आरोपी को नाबालिग बनाने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र तैयार करने के आरोप में भिण्ड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) निधि नीलेश श्रीवास्तव के आदेश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन नायब तहसीलदार सहित सात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस ने ऊमरी घुत् के तत्कालीन नायब तहसीलदार मोहनलाल शर्मा, कल्लू यादव पुत्र निहल सिंह यादव निवासी यादवन का पुरा ऊमरी, आशुतोष सिंह यादव निवासी रूर ऊमरी, तत्कालीन ग्राम पंचायत बिलाव के सचिव रोहसिंह यादव पुत्र रामवीर सिंह यादव, तत्कालीन पटवारी संजीव शर्मा, बिलाव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रजनी जादौन पत्नी लोकेन्द्र सिंह जादौन निवासी बिलाव ऊमरी तथा तत्कालीन सरपंच राजकुमार दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

नाबालिग साबित करने किया फर्जीवाड़ा न्यायालय में प्रस्तुत परिवार के अनुसार परिव्रादी गौरव शर्मा ने आरोप लगाया कि विमल यादव के विरुद्ध महाराष्ट्र के पन्ना खड़कली जिला ठाणे में वर्ष 2025 में गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज हुआ था। स्कूल के अभिलेखों के अनुसार विमल यादव की जन्मतिथि



इस दस्तावेज का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और आरोपी को कानूनी लाभ दिलाने के उद्देश्य से किया गया।

फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जन्म प्रमाण-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में तत्कालीन नायब तहसीलदार, ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तत्कालीन सरपंच तथा दो अन्य आरोपियों ने मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और गलत जन्मतिथि दर्ज कर प्रमाण-पत्र जारी करवाया। पुलिस अब दस्तावेजों की सत्यता, रिकार्ड और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगी। सिटी कोतवाली पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरो की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

12 दिसंबर 2006 दर्ज थी, जिससे वह घटना के समय बालिग था। आरोप है कि आरोपी के परिजनों ने उसे नाबालिग साबित करने के लिए अधिकारियों और पंचायत कर्मियों के साथ मिलकर 25 दिसंबर 2007 की जन्मतिथि दर्शाते हुए कथित रूप से फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र तैयार कराया। परिवारद में कहा गया है कि



भिण्ड (निज संवाददाता)। गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा भिण्ड द्वारा परिषद के संस्कार एवं महिला सहभागिता आयाम के अंतर्गत शा. विवेकानंद उमावि सुरुपुरा में कन्या पूजन एवं मां सरस्वती पूजन का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के जलाभिषेक एवं दुग्धाभिषेक के साथ विधि-विधानसूचक पूजन-अर्चन से हुआ। इसके उग्रांत विद्यालय की 101 बालिकाओं का देवी स्वरूप

कन्या पूजन बेटियां के सम्मान, संस्कार, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक : शर्मा

- गुप्त नवरात्रि पर भारत विकास परिषद ने 101 कन्याओं का किया पूजन



मानकर तिलक-चंदन कर विधिवत पूजन किया गया तथा उन्हें मिष्ठान वितरित कर उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निरंतर प्रगति की शुभकामनाएं दी गईं। मुख्य अतिथि अटेर बीईओ केजी शर्मा ने कहा कि भारत विकास परिषद सद्वैव संस्कार, सेवा, समर्पण एवं सहयोग की भावना के साथ समाजहित में कार्य कर रही है। परिषद विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में नैतिक मूल्यों के साथ सेवा भावना का भिण्डन भी वितरित किया। परिषद की कोषाध्यक्ष

गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि वे स्वयं परिषद के कार्यों से प्रेरित हैं। आज कन्या पूजन का यह कार्यक्रम समाज में नारी सम्मान, भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का एक प्रेरणादायी प्रयास है। कन्या पूजन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि समाज की यह संदेश देने का माध्यम है कि बेटियां सम्मान, संस्कार, शक्ति और समृद्धि की प्रतीक हैं। इस अवसर पर उन्होंने कन्याओं का पूजन कर उन्हें मिष्ठान भी वितरित किया। परिषद की कोषाध्यक्ष

रेखा भदौरिया ने भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान, सेवा एवं संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कन्या पूजन हमारी सनातन परंपरा का गौरवशाली प्रतीक है, जो नारी शक्ति के सम्मान और सामाजिक संस्कारों के संरक्षण का संदेश देता है। कार्यक्रम में परिषद की महिला सदस्यों की सक्रिय सहभागिता रही। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए इस आयोजन में भविष्य में भी ऐसे संस्कारमूलक एवं समाजोपयोगी कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने का संकल्प लिया गया।

जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में 53 एलडरमेन मनोनीत

- नगर विकास, जनहि्त के प्रस्तावों और योजनाओं पर देंगे अपने सुझाव

भिण्ड (निज संवाददाता)। जिले की नगर पालिका और नगर परिषदों में एलडरमेन (मनोनीत पार्षद) की लंबे समय से प्रतीक्षित सूची जारी कर दी गई। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जिले की तीन नगर पालिकाओं और आठ नगर परिषदों में कुल 53 एलडरमेन मनोनीत किए हैं। ये सदस्य परिषद की बैठकों में शामिल होकर नगर विकास, जनहित के मुद्दों और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में अपनी सहभागिता निभाएंगी।

नगरीय विकास को अनुभवी और सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों की भागीदारी के माध्यम से गति देने के उद्देश्य से चुने हुए पार्षदों के अलावा शासन द्वारा पार्षदों का मनोनयन किया जाता है, जिन्हें एलडरमेन कहा जाता है। ये सदस्य परिषद की बैठकों में भाग लेकर नगर विकास, जनहित के प्रस्तावों और योजनाओं पर अपने सुझाव देते हैं। इन्हें मतदान का अधिकार संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होता है। इनकी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक और विकासात्मक

निर्णयों में इनकी महत्वपूर्ण सलाहकारी भूमिका रहती है। जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका परिषद भिण्ड, गोहद और लहार के साथ नगर परिषद अकोड़ा, मेहरांग, गोरसी, रैन, मौ, फूप, मालनपुर, आलमपुर और दबोह में एलडरमेन नियुक्त किए गए हैं। मनोनीत सदस्यों में भाजपा संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को भी स्थान दिया गया है।

किस्म निकाय में कौन बना एलडरमेन भिण्ड नगर पालिका परिषद में अजीत भदौरिया (अहेली), मोनू नरवरिया, आशीष समाधिया, नीतेष जैन, सुनील तोमर, अनूप पाण्डेय को एलडरमेन बनाया गया है। नगर पालिका परिषद गोहद में सुमन गुप्ता, रामस्वरूप राठौर, भगत सिंह तोमर, विद्यामय सेजवारा, राजेन्द्र सिंह गुर्जर एवं आशीष शर्मा। नगर पालिका पण्डित लहार में आझाराम कुशवाह (छिदर), सतीश महतो, केदार सिंह राजावत, सुरेन्द्र राठौर (नेता), अमित गुप्ता एवं आशीष

शुक्ला। नगर परिषद फूप में अभिनाथ सिंह भदौरिया, योगेश शर्मा, सुदामा ओझा एवं महेश बबेल। नगर परिषद अकोड़ा में कमला दीक्षित, बंटी शर्मा, संदीप भदौरिया, बृजमोहन यादव। नगर परिषद रैन में रविन्द्र समाधिया, कुसुम त्यागी, महावीर सिंह कुशवाह एवं जयनारायण सिंह। नगर परिषद आलमपुर में राजेश कौव (पटेल), उमाशंकर राठौर, अरुण कुचिया एवं कैशव दुबे (गोले)। नगर परिषद दबोह में शिवराज यादव, राममोहन मुदराल एवं इंदेश नायक। नगर परिषद मेहराव में नाथूराम पटसारिया, रामसेवक कुशवाह, राजकुमारी जाटव एवं सुनील जैन। नगर परिषद गोरसी में रविन्द्र सिंह नरवरिया, सुरेश थापक, सुनीता आर्य एवं भीकाम राठौर। नगर परिषद मौ में सतीश जैन, इस्ताक मोहम्मद, नरेन्द्र सिंह कुशवाह एवं गीता सिंह मिर्धा। नगर परिषद मालनपुर में सरूपान सिंह, राजू गौड़, सकुन बाल्मीक एवं धनीराम पाल को एलडरमेन मनोनीत किया गया है।

वर्षाकाल में जल स्रोतों से सैंपलिंग कर शुद्ध पेयजल सुनिश्चित कर रहा पीएचई विभाग

- जिले में निरंतर हो रही वलोरिनेशन और जल नमूनों की जांच

भिण्ड (निज संवाददाता)। वर्षाकाल के दौरान जलजनित बीमारियों जैसे- डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि की रोकथाम और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भिण्ड द्वारा जिले भर में एक सघन अभियान चलाया जा रहा है।

विभाग द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पेयजल स्रोतों (हेण्डपंप, नलजल योजना आदि) का निरंतर क्लोरिनेशन किया जा रहा है, ताकि पानी में पनपने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किया जा सके। इसके साथ ही शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय मैदानी अमले द्वारा जिले के विभिन्न विकासखण्डों और ग्राम पंचायतों भिण्ड ब्लॉक डिड्डी, जामपुरा, दीनपुरा आदि) से जल स्रोतों के



सैंपल (नमूने) लगातार एकत्रित किए जा रहे हैं। पूरी पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए यह सैंपलिंग कार्य जीपीएस आधारित फोटोग्राफी के माध्यम से किया जा रहा है। एकत्रित किए गए इन सभी जल नमूनों की सघन जांच जिला नेशनल एंक्रोडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड

कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज प्रयोगशाला में की जा रही है। प्रयोगशाला में पानी का रासायनिक और जीवाणु परीक्षण किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पानी पीने योग्य मानकों पर खरा उतरता है। यदि जांच के दौरान किसी जल स्रोत का पानी दूषित पाया जाता है, तो विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस स्रोत का उपचार किया जा रहा है और ग्रामीणों को उस स्रोत का पानी न पीने की सलाह दी जा रही है।

आमजन से अपील लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भिण्ड ने जिले के सभी नागरिकों से अपील कर कहा है कि वर्षाकाल में अपने स्वास्थ्य के सुरक्षा के दृष्टिगत पीने के पानी को हमेशा साफ बर्तन में ढंक कर रखें। एहतियात के तौर पर पानी को उबालकर या छानकर ही पीएं तथा जल स्रोतों के आसपास गंदगी जमा न होने दें।

परिवहन अधिकारी हुआ प्रमोशन, दी बढ़ाई

भिण्ड (निज संवाददाता)। भिण्ड के परिवहन निरीक्षक आरके स्वर्णकार को सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसका लाभ भिण्ड व निवाड़ी जिले को मिलेगा, क्योंकि इन पर निवाड़ी के साथ भिण्ड का भी प्रभार है। उनकी पदोन्नति पर विभाग के विवरप्रताप सिंह, रेखा मुकुट कौर, नीरज राजावत, अधिकारी-कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगों ने बधाई दी है।

आम सूचना
सभी जन आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मैं श्वेरय्याम महौर पुत्र श्री बंशीलाल यह घोषणा करता हूं कि मेरा पुतना नाम श्वेरय्याम माहौर पुत्र श्री बंशीलाल था अब मैं अपने पुत्र कुलनाम घनश्याम पुत्र बंशीलाल को छोड़कर नया कुलनाम श्वेरय्याम माहौर रख रहा हूँ। अब मुझे सभी लोग श्वेरय्याम महौर पुत्र श्री बंशीलाल के नाम से ही जाने पहचाने तथा मुझे इसी नाम से पुकारा जावे। आम व खास सभी को सूचित हो। यह आम सूचना मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यों में काम आवे तथा सभी दस्तावेजों में लिखा व पढ़ा जावे। मेरा आचार नं. 6218 2368 2946 है।
सूचनाकर्ता श्वेरय्याम माहौर पुत्र श्री बंशीलाल निवासी - भिड़ोमा लेपा जिला मुरैना (म.प्र.) पिन कोड- 476554

आम सूचना
सभी जन आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री सुरेखा जाटव पुत्री श्री मुरगेलाल जाटव (नया नाम) के लिये यह घोषणा करता हूं कि मेरे पुत्री का पुतना नाम सुरेखा पुत्री मुरगी था अब मैं अपनी पुत्री का पुत्र कुलनाम सुरेखा को छोड़कर नया कुल नाम सुरेखा जाटव रख रहा हूँ अब मेरे पुत्री को सभी लोग सुरेखा जाटव पुत्री मुरगेलाल जाटव के नाम से पुकारा जावे। अम व खासजन को सूचित हो। यह आम सूचना मेरे पुत्री के सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यों में काम आवे। यही नाम लिखा व पढ़ा जावे। मेरे पुत्री का आधारकार्ड नं. 8728 1256 6848 है।
सूचनाकर्ता मुरगेलाल जाटव पुत्र श्री पहलवान निवासी चंचल कालिनी मुरैना जिला मुरैना (म.प्र.) 476001

एमजेएस कॉलेज में युवा संगम रोजगार मेला आज

-13 कंपनियों द्वारा एमजेएस कॉलेज में की जाएगी निशुल्क भर्ती

भिण्ड (निज संवाददाता)। जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय, आईटीआई तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड द्वारा युवा संगम रोजगार, अग्रेंटिस तथा स्वरोजगार मेले का आयोजन 22 जुलाई को सुबह 11 बजे से वर्ग के 10/12वीं पास युवाओं के लिए एग्रेंटिश एवं ऑफरेंट, डिफरेंस मेनेजमेंट डेवलपमेंट इंडिया प्रालि लखनऊ द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के 10वीं एवं 12वीं पास युवाओं के लिए एलडरमेन नियुक्त किए गए हैं। मनोनीत सदस्यों में भाजपा संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को भी स्थान दिया गया है।

मेले में विवक आईटी सालूशन एण्ड कंटलजेंसी ग्वालियर द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर युवाओं के लिए असिस्टेंट मैनेजर तथा रिलेशनशिप मैनेजर, आमधनी प्रालि गुजरात द्वारा 18 से 25 आयु वर्ग के 10/12वीं पास युवाओं के लिए एग्रेंटिश एवं ऑफरेंट, डिफरेंस मेनेजमेंट डेवलपमेंट इंडिया प्रालि लखनऊ द्वारा 18 से 35 आयु वर्ग के न्यूनतम 10वीं पास एवं 12वीं पास युवाओं के लिए एग्रेंटिश एवं ऑफरेंट, एक्सिक बैंक गुडगांव द्वारा 18 से 23 आयु वर्ग के स्नातक युवाओं के लिए असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क की भर्ती की जाएगी।

इसी प्रकार एलआईसी भिण्ड द्वारा 18 से 35 आयु वर्ग के 12वीं पास युवाओं के लिए फ़ील्ड ऑफिसर, एमपीएमके वीवीसीएल भिण्ड द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के 10वीं एवं 12वीं कंयूटर, बीई, आईटीआई युवाओं के लिए

स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंस्ट्रक्शन, जमुना ऑटो पार्ट्स मालनपुर द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के 10वीं एवं 12वीं एवं आईटीआई पास युवाओं के लिए ऑपरेटर, ट्रेनीज, कौशल विकास केन्द्र ग्वालियर द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के 10वीं एवं 12वीं पास युवाओं के लिए एलडरमेन नियुक्त किए गए हैं। कोसमोस प्रालि ओरंगाबाद द्वारा 18 से 30 आयु वर्ग के स्नातक युवाओं के लिए ऑफरेंट, नौकरी फाई डाट काम भिण्ड द्वारा 18 से 26 आयु वर्ग के स्नातक युवाओं के लिए ब्रांच मैनेजर, गौतम सोलर प्रालि भिमानी द्वारा 18 से 26 आयु वर्ग के 10वीं एवं 12वीं पास युवाओं के लिए असिस्टेंट ऑफिसर पद पर भर्ती की जाएगी साथ ही कंपनियों द्वारा 14 हजार से 40 हजार तक वेतन, स्ट्राईफ दिया जाएगा। आवेदक साक्षात्कार के समय 10वीं, 12वीं एवं स्नातक की मूल अंकसूची एवं अपने समस्त मूल-प्रमाण पत्र सहित एवं पासपोर्ट साइज के तीन फोटोग्राफ लेकर आएं। प्लेसमेंट ड्राईव में उपस्थित होने वाले युवकों को कार्यालय द्वारा कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

असवार उमाव में सुंदरकाण्ड पाठ का आयोजन



भिण्ड (निज संवाददाता)। गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के तहत मंगलवार को पीएमश्री शा. उमावि असवार में संगीतमय सुंदरकाण्ड पाठ एवं हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। जिसके यजमान अरुण त्रिपाठी रहे। विधिविधान से कलश स्थापित कर मां सरस्वती एवं सरदारवार की तस्वीर का पूजन कर दीप प्रज्ज्वलन किया गया। इसके बाद सेवदा से आए पं. शैलेन्द्र व्यास एवं उनकी टीम ने संगीतमय सुंदरकाण्ड पाठ का वाचन किया। कार्यक्रम का समापन हनुमानजी की आरती के साथ किया गया, इसके बाद प्रसादी वितरित की गई।

एकाग्रता बढ़ता है सुंदरकाण्ड इस मौके पर पं. शैलेन्द्र व्यास ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा एवं मंगलवार को सुंदरकाण्ड का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सुंदरकाण्ड सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन, और नैतिक मूल्यों का विकास करता है। यह जीवन में आने वाली चुनौतियों का

डक्टर सामना करने की प्रेरणा देता है और पढ़ाई में ध्यान (एकाग्रता) बढ़ाने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि सुंदरकाण्ड हमें हनुमान जी के पराक्रम और दृढ़ संकल्प की कहानी बताता है, जो छात्रों को कठिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। सुंदरकाण्ड के पाठ से मानसिक तनाव दूर होता है और विद्यालय में सकारात्मक, शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। सुंदरकाण्ड से छात्रों को कर्तव्यनिष्ठ, बड़ों का सम्मान और सेवा भाव जैसे जीवन उपयोगी मूल्य सीखने को मिलते हैं।

इस दौरान प्राचार्य हरनारायण दीक्षित, मंगल राठौर, महिलाएं कौरव, आरएस कुशवाह, बिहारी शिवहरे, रिक्त कौरव, रजनी श्रीवास्तव, सुमन गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, इच्छ कुशवाह, शिवानी श्रीवास्तव, मिथलेश भास्कर, हरेंद्र यादव, दीपक कौरव, कमलेश यादव सहित समस्त स्टाफ एवं बच्चे मौजूद रहे।



जो कहा वो किया जो सोचा वो हुआ



क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या राम क्या रहीम,
क्या रविन्दर क्या रॉबर्ट सबके लिये समान कानून

मात्र **2 माह** में 27 अप्रैल 2026 को उच्च स्तरीय समिति
गठन के बाद, 21 जुलाई 2026 को विधानसभा में ऐतिहासिक मंजूरी

विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता

21 जुलाई 2026
विधानसभा
में पारित

27 अप्रैल 2026
उच्च स्तरीय समिति
का गठन

7 सदस्यीय उच्च स्तरीय
समिति द्वारा देश के विभिन्न
कानूनों और अन्य राज्यों के
UCC मॉडलों का गहन
तुलनात्मक अध्ययन

अभूतपूर्व जन-भागीदारी

सुझाव हेतु वेब पोर्टल लॉन्च

3.50 करोड़

संदेश नागरिकों को भेजे गए

10 लाख सुझाव मिले

मध्यप्रदेश के विधायी इतिहास
में पहली बार

जिला और राज्य स्तर पर

50+ वृहद बैठकें

व्यावहारिक सुझाव संकलित

1,134+

ऐतिहासिक जनसमर्थन

93%

ने समान नागरिक संहिता
का समर्थन किया

92%

पुरुष और महिलाएं समान
कानून के पक्ष में

**लैंगिक समानता और
अधिकार**

91%

ने भेदभावपूर्ण तलाक कानून
हटाने का समर्थन किया

92%

ने बेटीयों और माताओं को
संपत्ति में समान अधिकार
का समर्थन किया

**सर्वसमुदाय का
समर्थन**

हिन्दू: 95% पुरुष
96% महिलाएं

मुस्लिम: 40% पुरुष
80% महिलाएं

ईसाई: 90% पुरुष
95% महिलाएं

सिख: 93% पुरुष
96% महिलाएं



प्रदेश की आधी आबादी, सभी बहनों को, दिया उनका हक़

D11064/26

अभिलेखित: 22 जुलाई 2026

अभिलेखित: 22 जुलाई 2026